File No. 4-1 (19) / 2022 – Pen
Government of India
Ministry of Communication
Department of Posts
(Pension Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi – 110001
Dated: 03rd November 2023

To

All Heads of Postal Circles
Chief General Manager, BD Directorate / Parcel Directorate / PLI Directorate
All Regional Postmasters General
Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, Ghaziabad
All Directors/Dy. Directors of Accounts (Postal)

Subject: Compendium of pension related instructions during the period from 01.01.2022 to 31.08.2023-reg.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith an e-copy of the compendium of pension related instructions issued during the period from 01.01.2022 to 31.08.2023 by Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions for information and necessary compliance.

Yours faithfully,

03/11/2023

(Amit Ranjan)
Assistant Director General (Pension)

Encls.: As above (165 pages)

Copy along with enclosures to:-

1. PPS to Secretary(Posts)/DG(Posts)
2. PPS to Member (Banking & DBT) / Plg.& HRD/Tech./Pers./Ops./PLI/Addl. DG(Cord.)
3. AS & FA/ Sr. DDG(PAF)
4. Secretary(PSB)/All DDsG
5. All Regional Postmasters General/GM(G)/DA(P)/DDA(P)
6. All Postal Training Centres
7. Director, CEPT Mysore-for uploading on the official website of the Dept. Of Posts
8. Guard File

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन संबंधी निदेशों का सार–संग्रह, जनवरी, 2022 – अगस्त, 2023

Compendium of Pension related Instructions, January, 2022 - August, 2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेंशन संबंधी निदेशों का सार–संग्रह, जनवरी, 2022 – अगस्त, 2023

Compendium of Pension related Instructions, January, 2022 - August, 2023

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक जारी किए गए परिपत्रों का सार-संग्रह

Compendium of circulars issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare during January, 2022 to August, 2023

क्र. सं. S. No.	परिपत्र सं. Circular No.	विषय Subject	दिनांक Date	पृष्ठ सं. Page No.
1	1/4/2021-पी&पीडब्ल्यू(ई) भाग-I	सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी / कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय	19.01.2022	1-2
	1/4/2021 P&PW(E) Part I	Payment of family pension in respect of a child suffering from a disorder or disability of mind through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner	19.01.2022	3-4
2	12(9)/2020-पी&पीडब्ल्यू (सी) -6450	नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।	23.02.2022	5-6
	12(9)/2020-P&PW(C)-6450	Payment of Provisional Pension and gratuity under Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in case of delay in issue of PPO authorizing regular pension.	23.02.2022	7-8
3	4/05/2019-पी&पीडब्ल्यू (डी)	पेंशनभोगी / कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (ओपीडी) सुविधा और विपर्येण विकल्प में परिवर्तन करने की कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में।	23.03.2022	9-16
	4/05/2019-P&PW(D)	Procedure for implementation of change of option by a Pensioner/Family Pensioner from FMA to CGHS(OPD) facility and vice-versa - reg	23.03.2022	17-22
4	1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू (ई)	जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन	31.03.2022	23-25
	1/2(40)/2022-P&PW (E)	Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.	31.03.2022	26-28
5	42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.01.2022 से लागू।	05.04.2022	29-30

	42/07/2022-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners / family pensioners - Revised rate effective from 01.01.2022	05.04.2022	31-32
6	1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू (ई)	पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन।	06.04.2022	33-41
	1/2(40)/2022-P&PW (E)	Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.	06.04.2022	42-52
7	57/03/2020-पी&पीडब्ल्यू (बी)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए लापता सरकारी कर्मचारियों के कुटुंब को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन हितलाभ देने के प्रावधान से संबंधित।	28.04.2022	53-56
	57/03/2020-P&PW (B)	Provision for extending benefits under CCS (Pension) Rules or CCS (EOP) Rules to family of missing Central Government employees covered under National Pension System (NPS)-reg.	28.04.2022	57-59
8	42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू (डी)	मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ) लाभार्थियों को 01.01.2022 से पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई रहत की मंजूरी।	11.05.2022	60-61
	42/07/2022-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.01.2022 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg.	11.05.2022	62-63
9	11(45)2022-पी&पीडब्ल्यू (ई)	दो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।	23.05.2022	64-65
	11(45)2022-P&PW (E)	Eligibility for two family pensions- clarification regarding.	23.05.2022	66
10	38/46/2017-पी&पीडब्ल्यू (ए) (4879)	सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति/पदच्युति/हटाए जाने के पश्चात् अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन।	14.06.2022	67-70
	38/46/2017-P&PW(A) (4879)	Revision of Pension / family pension in respect of the pensioners drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance after compulsorily retirement/dismissal/removal from service - reg	14.06.2022	71-73
11	3/7/2020-पी&पीडब्ल्यू (एफ)/6728	अभिदाता के जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियों से संबंधित।	18.08.2022	74-75
	3/7/2020-P&PW (F)/6728	Missing entries in GPF accumulation of subscriber regarding	18.08.2022	76-77
12	1(8)/2021-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7468	वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	30.09.2022	78-81

	1(8)/2021-P&PW(H)-7468	Submission of Annual Life Certificate	30.09.2022	82-85
13	1(3)/2022-पी&पीडब्ल्यू (एच) –8371	डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।	02.11.2022	86-89
	1(3)/2022-P&PW(H)-8371	Nation-wide Campaign for submission of Digital Life Certificate.	02.11.2022	90-106
14	3/13/2022-पी&पीडब्ल्यू(एफ) (8353)	वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अनुदेश से संबंधित |	02.11.2022	107-108
	3/13/2022-P&PW(F) (8353)	Ceiling of Rs. 5.00 lakh on subscription to General Provident Fund (Central Services) in a financial year- instructions regarding.	02.11.2022	109-110
15	57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों / रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना ।	03.03.2023	111-113
	57/05/2021-P&PW(B)	Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment on or before 22.12.2003.	03.03.2023	114-116
16	42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी दिनांक 01.01.2023 से संशोधित दर लागू ।	06.04.2023	117-118
	42/04/2023-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners Revised rate effective from 01.01.2023.	06.04.2023	119-120
17	38/41/19-पी&पीडब्ल्यू(ए) [6018]	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में।	10.04.2023	121-122
	38/41/19-P&PW(A) [6018]	Amendment of Rule 8 of CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10.04.2023	123-124
18	57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	दिनांक 22.12.2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/ रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर करने के संबंध में।	14.06.2023	125
	57/05/2021-P&PW(B)	Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.	14.06.2023	126

19	57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू (बी)	व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का. ज्ञा. के अनुसरण में एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना के संबंध में।	22.06.2023	127
	57/02/2021-P&PW(B)	Setting up of NPS oversight mechanism in pursuance to Department of Expenditure OM dated 02.07.2019-reg.	22.06.2023	128-135
20	42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू (डी)	मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2023 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी ।	06.07.2023	136-137
	42/04/2023-P&PW(D)	Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in 5th CPC series on ex-gratia effective from 01.01.2023.	06.07.2023	138-139
21	1(2)/2023-पी&पीडब्ल्यू (एच)	राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डी एल सी) अभियान 2.0, 1-30, नवंबर,2023 के लिए व्यापक दिशानिर्देश	09.08.2023	140-147
	1(2)/2023-P&PW(H)	Comprehensive Guidelines for the Nation-wide Digital Life Certificate Campaign 2.0, November 1-30, 2023	09.08.2023	148-154

****

सं.1/4/2021-पी & पी डब्ल्यू (ई) भाग-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 जनवरी, 2022

सेवा में,

सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ई-मेल द्वारा)

विषयः सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार किसी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के बच्चे को, जो किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्तहै या शारीरिक रूप से निःशक्त है, जिससे वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो, कुटुंब पेंशन, कुछ शर्तों के अध्यधीन, आजीवन संदेय है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(iv) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (iii))के अनुसार, ऐसे पुत्र या पुत्री को, जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का संदाय,संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो।

3. सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)) में, तथापि यह प्रावधान है कि मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में, कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को संदेय होगी और यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई नाम निर्देशन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो तत्पश्चात यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को, कुटुंब पेंशन संदेय होगी। किसी स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 14 के अधीनजारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी, उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए संरक्षक के नाम निर्देशन या उसकी नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा।

4. इस विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि मानसिक रूप से मंद बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में नाम निर्देशन को विधिवत सम्मिलित किया गया है, कुछ मामलों में, पेंशन संवितरण बैंक केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज)(vii) (केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) के दूसरे परंतुक का खंड (vi)), के अनुसार पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं।ये बैंक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कुटुंब पेंशन कासंदाय करने का आग्रह करते हैं जिसके पास न्यायिक अदालत द्वारा जारी किया गया संरक्षकता प्रमाण पत्र हो।

5. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9)(ज) में खंड (vii) का उद्देश्य मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को अदालत से संरक्षकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात कुटुंब पेंशन का दावा करने में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाना है। इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसका पति/पत्नी मानसिक रूप से मंद बच्चे को संदेय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा ऐसा नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया हो, न्यायिक अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा किए गए नाम निर्देशन को मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को जारी किए गए पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, यह पेंशन संवितरण बैंकों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसे नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चे कोकुटुंब पेंशन संवितरित करें। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा संरक्षकता प्रमाणपत्र के लिए आग्रह करना, ऐसे नाम निर्देशन करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन भी होगा।

7. यह अनुरोध किया जाता है कि आपके बैंक की सीपीपीसी/पेंशन संदाय शाखाओं को सीसीएस (पेंशन) नियमों के सांविधिक उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाणपत्र की मांग न की जाए। सभी पेंशन संवितरण शाखाओं को भी इन निर्देशों की अभिप्राप्ति की सूचना देने के निर्देश दिए जाएं।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन: 24635979

प्रति:

1. लेखा महानियंत्रक
2. केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी
3. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को सूचनार्थ

1/4/2021-पी एंड पी डब्लू (ई) भाग-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क - ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक-जनवरी 19, 2022

To

CMDs of All Pensions Disbursing Banks
(Through E-mail)

Sub: Payment of family pension in respect of a child suffering from a disorder or disability of mind through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner

I am directed to say that in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules, family pension is payable for life, subject to certain conditions, to a child of a deceased Government servant/pensioner, who is suffering from any disorder or disability of mind or is physically disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years,.

2. As per Rule 50(9)(h)(iv) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (iii) of second proviso to Rule 54(6) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972), family pension shall be paid to a son or daughter, who is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded, through the guardian as if he or she were a minor.

3. Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972), however, provides that in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension can be paid to a person nominated by the Government servant or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such Government servant or pensioner during his lifetime, to the person nominated by the spouse of such Government servant or family pensioner, as the case may be, later on. The Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust Act,1999 (44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of the person suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act.

4. It has been brought to the notice of this Department that in some cases, the Pension Disbursing Banks are not allowing family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the pensioner or his/her spouse in accordance with Rule 50(9)(h)(vii) of the CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier clause (vi) of second proviso to Rule 54(6) of the CCS (Pension) Rules, 1972) in spite of the fact that such nomination has been duly incorporated in the Pension Payment Order issued to the mentally retarded child. These banks insist for payment of family pension through a person having a guardianship certificate issued by a court of law.

5. Clause (vii) in the Rule 54(9)(h) of the CCS (Pension) Rules, 2021 is intended to avoid any hassles to the child suffering from a mental disability in obtaining the guardianship certificate from the court and in claiming family pension after the death of his/her parents. As per this rule, a Government servant/pensioner or his/her spouse can nominate a person to receive family pension payable to a mentally retarded child. In cases where such nomination is submitted by a Government servant/pensioner/family pensioner, a guardianship certificate issued by a court of law is not necessary.

6. Accordingly, in cases where a nomination made by the Government servant/pensioner/family pensioner has been incorporated in the Pension Payment Order issued to child suffering from a mental disability, it is incumbent on the Pension Disbursing Banks to disburse the family pension in respect such child through the person so nominated. Insisting for a guardianship certificate by the Banks in such cases would defeat the very purpose of such nomination and would also amount to violation of the statutory provisions of the CCS (Pension) Rules, 2021.

7. It is requested that suitable instructions may be issued to the CPPCs/Pension Paying Branches of your Bank for payment of family pension in respect of a mentally retarded child through the person nominated by the Government servant/pensioner/family pensioner in accordance with the statutory provisions of CCS (Pension) Rules and not to insist for a guardianship certificate issued by a court of law in such cases. All Pension disbursing branches also be asked to acknowledge receipt of these instructions.

8. This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
टेलीफोन-24635979

Copy to:

1. CGA,
2. CPAO
3. CPPCs of all Pension Disbursing Banks
4. Secretary, Department of Financial Services for information

फा.सं/ 12(9)/ 2020-पी&पीडब्ल्यू(सी)-6450

भारत सरकार
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-एच)

8वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक 23 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नियमित पेंशन प्राधिकृत करने वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के अनुसार, नियमित पेंशन प्राधिकृत करते वाले पीपीओ को जारी करने में विलंब होने की आशंका होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन/ उपदान मंजूर किया जाना अपेक्षित होता है। **केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 में यह उपबंध है कि ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान(अनंतिम पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान सहित) मंजूर नहीं किया गया है या विलंबित है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है तो पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के बकायों पर, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर और रीति से ब्याज संदत्त किया जाएगा।** पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और जहां यह पाया जाए कि पेंशन/ कुटुंब पेंशन/ उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो प्रभावित पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी को ब्याज का संदाय करना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में, उन सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा जो प्रशासनिक चूक के कारण विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

2. यद्यपि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अनुसार, अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा, नियम आगे यह भी प्रावधान करता है कि उक्त छह मास की अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 64) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उक्त छह अवधि के भीतर यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और उस छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा। अतः, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां छः मास की अवधि की समाप्ति तक, लेखा अधिकारी द्वारा किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नियमित पेंशन प्राधिकृत न की गई हो।

जारी.....2

4. सभी मंत्रालयों/ विभागों और उनके लेखा अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करें। इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि उक्त छ: मास की अवधि की समाप्ति तक यदि किसी कारणवश लेखा अधिकारी द्वारा नियमित पेंशन के लिए पीपीओ जारी नहीं किया जा सका तो पेंशन को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाए।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23310108

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।
2. विभाग से सभी अधिकारी/ डेस्क।
3. एनआईसी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि:

महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

फा.सं/ 12(9)/2020-P&PW(C)-6450

भारत सरकार

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(Desk-H)

8th Floor, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi,
Dated the 23rd February, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Payment of Provisional Pension and gratuity under Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in case of delay in issue of PPO authorizing regular pension – reg

The undersigned is directed to say that in accordance with Rule 62 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (Rule 64 of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972), the Head of Office is required to sanction a provisional pension/gratuity, in cases where a delay is anticipated in issuing a PPO authorizing regular pension. **Rule 65 of the CCS (Pension) Rules, 2021 further provides that in all cases where pension/ family pension/gratuity (including provisional pension/ family pension/gratuity) has not been sanctioned or is delayed, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid on arrears of pension/family pension/gratuity at the rate and in the manner as applicable to General Provident Fund amount.** Every case of delayed payment of pension/family pension/gratuity in respect of employees of a Ministry or Department and the employees of its attached and subordinate offices shall be considered by the Secretary of that Ministry or Department or any other officer authorized by him, and where it is found that the delay in the payment of pension/family pension/ gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, interest shall be required to be paid to the affected pensioner/family pensioner. In such cases, responsibility shall be fixed and disciplinary action shall be taken against the Government servant or servants who are found responsible for the delay on account of administrative lapses.

2. Although as per Rule 62 of CCS(Pension) Rules, 2021, payment of provisional pension shall not continue beyond the period of six months from the date of retirement of the Government servant, the Rule further provides that the Accounts Officer shall treat the provisional pension as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months, if the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within the aforesaid period of six months.

Cont..2

3. In view of the provisions of Rule 62 of CCS (Pension) Rules, 2021 (earlier Rule 64 of CCS (Pension) Rules, 1972), the Accounts Officer has to treat the provisional pension as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months provided in the Rule, if the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within the said period. Therefore, there should not be a situation where regular pension is not authorized by the Accounts Officer to a retired Government servant on expiry of the period of six months.

4. All Ministries/Departments and their Account Officers are advised to strictly comply with the provisions of Rule 62 of the CCS (Pension) Rules, 2021. It is further emphasized that pension should not be discontinued under any circumstances, if, for any reason, PPO for regular pension could not be issued by the Accounts Officer till the expiry of the aforesaid period of six months.

23/2/2022

(Ashok Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph: 23310108

To

1. All the Ministries/ Departments, Government of India.
2. All Officers/Desks of the Department.
3. NIC, DoPPW: for uploading on website of this Department.

Copy to:

Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, New Delhi.

सं. 4/05/2019-पी&पीडबल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(ओपीडी) सुविधा और विपर्यण विकल्प में परिवर्तन करने की कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सदृश स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नहीं रहने वाले, केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, दिन-प्रतिदिन के ऐसे चिकित्सा व्यय, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, को पूरा करने के लिए मासिक नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) पाने के हकदार हैं। एफएमए की राशि को समय-समय पर संशोधित किया गया था और इस विभाग के दिनांक 19.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 4/34/2017-पी&पीडब्ल्यू(डी) द्वारा नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को अंतिम बार संशोधित करके दिनांक 01.07.2017 से 1000/- रु. प्रतिमास किया गया था।

2. केवल ऐसे पेंशनभोगी जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, और विशेष रूप से निकटतम सीजीएचएस डिस्पेंसरी में ओपीडी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुनते हैं, चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत होने वाले कार्मिक द्वारा ओपीडी चिकित्सा सुविधा या एफएमए का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प देना अपेक्षित होता है। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के जीवनकाल में विकल्प में केवल एक बार परिवर्तन करने की अनुमति है।

3. "पेंशनभोगियों की शिकायतें - पेंशन अदालतों और केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपेनग्राम्स) का प्रभाव" पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफ़ारिश की गई है:

जारी/.......

(3.22) समिति पेंशनभोगियों द्वारा अपने नियत चिकित्सा भत्ते (एफएमए) को लौटाने और सीजीएचएस की अंतरंग और बहिरंग (ओपीडी) सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एफएमए समर्पण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को नोट करती है और तदनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और सीजीए को सिफारिश करती है कि इसमें आने वाली प्रक्रियात्मक खामियों को दूर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी पेंशनभोगियों को संबंधित बैंक को सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से एफएमए समर्पण प्रमाणपत्र बिना किसी परेशानी के प्राप्त होना चाहिए और इस संबंध में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए।

4. यदि ऐसा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निवास करता है और एफएमए प्राप्त कर रहा है, सीजीएचएस आदि के तहत ओपीडी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के लिए पात्र होने के लिए एफएमए को छोड़ना होगा। तथापि, बैंक द्वारा एफएमए को बंद करने और ओपीडी सुविधा के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए किन्हीं दिशानिर्देशों के अभाव में, पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अक्सर इस संबंध में विकल्प में परिवर्तन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

(i) यदि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करने वाला पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करता है, तो वह एफएमए के लिए पात्र नहीं रहता, भले ही वह सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाता हो या नहीं। अतः यह पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का दायित्व होगा कि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने पर और गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में पते में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करते समय, वे अपने एफएमए को बंद करने के लिए बैंक को **प्ररूप 2** में आवेदन भेजें। पेंशन संवितरण बैंक भी अपनी प्रणाली में एक ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि जब भी कोई पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने के बारे में सूचना दे, तो पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को संदत्त किया जाने वाला एफएमए स्वचालित रूप से बंद हो जाए, भले ही पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ने अपने एफएमए को बंद करने के लिए प्ररूप-2 में अनुरोध किया हो या नहीं।

गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से प्ररूप-2 में आवेदन प्राप्त होने पर, बैंक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एफ़एमए बंद करने के संबंध में उक्त प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से **तीन कार्यदिवसों के भीतर प्ररूप-3** में एक

प्रमाणपत्र जारी करेगा। तत्पश्चात, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस अंशदानों के अपेक्षित भुगतान द्वारा ओपीडी और आईपीडी सुविधा दोनों के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों के पास आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करता है और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को अन्यथा पूरा करता है, तो उसे सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीजीएचएस कार्ड जारी किया जाएगा। तथापि, सीजीएचएस प्राधिकारी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से **चार कार्यदिवसों के भीतर** पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एक अनंतिम कार्ड जारी करेंगे और यह अनंतिम कार्ड अंतिम सीजीएचएस कार्ड जारी होने तक वैध रहेगा।

(ii) यदि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करने वाला और ओपीडी सुविधा के बदले एफ़एमए का लाभ उठाने वाला पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह एफ़एमए को बंद करने के लिए, प्ररूप-2 में पेंशन संवितरण बैंक की संबंधित शाखा में आवेदन कर सकता है, ताकि वह सीजीएचएस सुविधा के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सके। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, बैंक को प्ररूप-2 में एक वचनबंध भी देगा कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और उसने पूर्व में सीजीएचएस से एफ़एमए में विकल्प परिवर्तन करने की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। तत्पश्चात, पेंशन संवितरण बैंक ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत एफ़एमए का संदाय बंद करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से **तीन कार्यदिवसों के भीतर** उसे एफ़एमए बंद करने के संबंध में प्ररूप-3 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

तत्पश्चात्, पेंशनभोगी अपेक्षित सीजीएचएस अंशदान का यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है, तो उसका भुगतान करने के पश्चात्, ओपीडी और आईपीडी दोनों सुविधाओं के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सकता है। यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को अन्यथा पूरा करता है, तो सीजीएचएस प्राधिकारी अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसे सीजीएचएस कार्ड(ओपीडी सुविधा सहित) जारी करेंगे। तथापि, सीजीएचएस प्राधिकारी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से चार कार्यदिवसों के

भीतर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एक अनंतिम कार्ड जारी करेंगे और ऐसा अनंतिम कार्ड मूल सीजीएचएस कार्ड के जारी होने तक वैध रहेगा।

(iii) एफएमए को बंद करने के पश्चात्, बैंक एफएमए को बंद करने के संबध में पीपीओ के दोनों हिस्सों में आवश्यक परिवर्तन करेगा। संबंधित बैंक का सीपीपीसी, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए प्ररूप-4 के प्रोफार्मा में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को सूचित करेगा। तत्पश्चात सीपीएओ PARAS (अर्थात सीपीएओ का डेटाबेस) में डेटा अपडेट करने के पश्चात् संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) को सूचित करेगा। सीपीएओ से सूचना प्राप्त होने पर, पीएओ रिकॉर्ड के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख को स्थिति में परिवर्तन की सूचना देगा।

5. यदि ऐसा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस/चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने पर एफएमए का लाभ उठाने का इरादा रखता है, तो वह सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा को सरेंडर करने के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सकता है। इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर, सीजीएचएस प्राधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर समुचित पृष्ठांकन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार कार्यदिवसों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेंगे, कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है और सीजीएचएस के अंतर्गत केवल आईपीडी सुविधा ले रहा है। तत्पश्चात, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी एफएमए के संदाय के लिए संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करने के लिए अपना आवेदन सरेंडर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि सहित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करने के मामले को पीएओ और सीपीएओ के माध्यम से सामान्य तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और मासिक पेंशन के साथ एफएमए के संदाय के लिए पेंशन संवितरण बैंक को भेजा जाएगा। इस संबंध में पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख से **दो मास के भीतर** संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में एफएमए का संदाय सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा सरेंडर प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से किया जाएगा।

संलग्नक: नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप

च तनेजा

(चरणजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/सीपीपीसी
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
4. लेखा महानियंत्रक

नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप-2

सेवा में,

प्रबंधक,

...........................बैंक

....

विषय: नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने के लिए आवेदन

महोदय/महोदया,

मैं वर्तमान में आपके बैंक से एफएमए के साथ पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा हूं और मेरा विवरण नीचे दिया गया है:

1. नाम :- ....
2. पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी:---------------------------------
3. पीपीओ सं.:- ....
4. बैंक खाता सं.:-.........................
5. संपर्क नंबर :-...................
6. वर्तमान पता :-........................

2. मैं आपसे निम्नलिखित कारणों से अपना एफएमए बंद करने का अनुरोध करता हूं:

(क) मैंने अपना निवास गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र में परिवर्तित किया है

(ख) मैं गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास कर रहा हूं किंतु आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखता हूं

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

3. यह भी अनुरोध है कि मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए एफएमए को बंद करने के संबंध में मुझे प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

(घोषणा)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और मैंने पूर्व में एफएमए से सीजीएचएस में विकल्प परिवर्तन की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

तारीख:

(पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर)
पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नाम

<u>अभिप्राप्ति</u>

श्री/सुश्री ...., पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी (पीपीओ संख्या ....) से उनकी पेंशन के भाग के रूप में नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।

तारीख:

बैंक की मुहर

बैंक के प्रतिनिधि का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप-3

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने के संबंध में बैंक से प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से अनुरोध प्राप्त होने पर, उसकी पेंशन/कुटुंब पेंशन के भाग के रूप में नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) का संदाय बैंक द्वारा बंद कर दिया गया है:

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का ब्यौरा

1. नाम :- ______________________
2. पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी :- ______________________
3. पीपीओ सं. :- ______________________
4. बैंक खाता संख्या :- ______________________
5. दूरभाष सं. :- ______________________
6. वर्तमान पता :- ______________________
7. एफएमए बंद करने की तारीख:- ______________________

8. एफएमए बंद करने के लिए पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा दिया गया कारण:

(क) गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान का परिवर्तन

(ख) गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करते हैं किंतु सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ने बैंक को वचनबंध दिया है कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और उसने पूर्व में सीजीएचएस से एफएमए में विकल्प परिवर्तन की सुविधा का लाभ नहीं उठाया था।

...

संलग्नक : पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से आवेदन और वचनबंध की प्रति।

(नियत चिकित्सा भत्ता प्ररूप-4)

[नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) को बंद करने के संबंध में संबंधित बैंक के सीपीपीसी द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को दी जाने वाली सूचना]

सेवा में

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकुट-II
नई दिल्ली -110066

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नियत चिकित्सा भत्ता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, बंद कर दिया गया है:

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नाम	
पीपीओ संख्या	
सेवानिवृत्ति की तारीख	
वेतन एवं लेखा कार्यालय	
नियत चिकित्सा भत्ता बंद करने की तारीख	

संलग्नक: एफएमए बंद करने के संबंध में पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी से प्राप्त आवेदन की प्रति

बैंक की मुहर के साथ प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम....

बैंक का नाम व पता

No. 42/05/2019-P&PW(D)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23 मार्च,2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Procedure for implementation of change of option by a pensioner from FMA to CGHS (OPD) facility and vice-versa

The undersigned is directed to say that the Central Government civil pensioners/family pensioners residing in areas not covered under Central Government Health Scheme administered by the Ministry of Health & Family Welfare and corresponding health schemes administered by other Ministries/Departments for their retired employees for meeting expenditure on their day-to-day medical expenses that do not require hospitalization, are entitled to receive a monthly Fixed Medical Allowance (FMA). The amount of FMA was revised from time to time and was last revised to Rs. 1000/- p.m. w.e.f. 01.07.2017 vide this Department's OM No. 4/34/2017-P&PW(D) dated 19.07.2017.

2. Only those pensioners who are residing in an area not covered by CGHS, and specifically opt for not availing of OPD facilities in the nearest CGHS dispensary, are entitled medical allowance. An option is required to be exercised by a pensioner at the time of retirement for availing OPD medical facility or FMA. Only one change in option in the life-time of a pensioner is allowed.

3. The Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, in its 110th report on "Pensioner's Grievances-Impact of Pension Adalats and Centralized Pensioners Grievance Redress and Monitoring System (CPENGRAMS)" has made following recommendation :

> 3.22. The Committee takes note of the difficulties faced by pensioners in surrendering their Fixed Medical Allowance (FMA) and getting FMA Surrender Certificate to avail CGHS indoor & outdoor (OPD) facilities, and, accordingly, recommends DoPPW and CGA that the procedural loopholes coming in this way should be plugged and ensure that all such pensioners should get FMA Surrender Certificates in a hassle free manner through online mode under intimation to the bank concerned and a timeline should be fixed in this regard.

Contd/....

4. If a pensioner who is residing in a non-CGHS areas and is in receipt of FMA, intends to avail the OPD facility under CGHS, etc, he has to forego FMA to become eligible for OPD facility under CGHS. However, in the absence of any guidelines for discontinuance of FMA by the Bank and issue of CGHS card for OPD facility, pensioners are often facing difficulty in exercising revised option in this regard. The matter has been examined in consultation with Ministry of Health and Family Welfare and Central Pension Accounting Office and the following procedure is laid down in this regard:-

i. If a pensioner/family pensioner residing in non-CGHS area shifts his residence to a CGHS covered area, he no longer remains eligible for FMA irrespective whether he avails the CGHS facility or not. It will, therefore, be the responsibility of the pensioner/family pensioner that on shifting from a non-CGHS area to a CGHS covered area and while requesting for change of address from a non-CGHS area to a CGHS covered area, he will apply to the Bank in Form 2 for discontinuation of his/her FMA. The pension disbursing banks will also make a provision in their system so that whenever a pensioner/family pensioner gives an intimation regarding change of residence from a non-CGHS area to a CGHS covered area, the FMA being paid to the pensioner would automatically be stopped, irrespective whether or not the pensioner/family pensioner has requested in Form-2 for stoppage of his/her FMA.

   On receipt of an application in Form-2 from the pensioner/family pensioner, who has shifted from a non-CGHS area to a CGHS covered area, the Bank will issue a certificate in Form-3 regarding discontinuation of FMA to the pensioner/family pensioner **within three working days** from the date of receipt of the application for the said certificate. Thereafter, it will be open to the pensioner /family pensioner to apply to the CGHS authorities for issue of a CGHS card for both OPD and IPD facility, by payment of requisite CGHS contributions.

   In case the pensioner/family pensioner applies for issue of a CGHS card, the same will be issued to him/her by the CGHS authorities as per their laid down procedure, if the pensioner/family pensioner otherwise fulfils the eligibility conditions for issue of CGHS Card. The CGHS authorities will, however, issue a provisional card to the pensioner/family pensioner **within four working days** from the date of completion of all formalities and deposit of contributions by the pensioner/family pensioner and such provisional Card will remain valid till issue of a final CGHS Card.

ii. If a pensioner/family pensioner, residing in a non-CGHS area and availing FMA in lieu of OPD facility, intends to avail CGHS facility for both OPD and IPD, he may apply to the concerned branch of the pension disbursing bank in Form-2 for discontinuation of FMA, to enable him/her to apply to the CGHS authorities for the CGHS facility. The pensioner/family pensioner will also give an undertaking in Form-2 to the Bank that the option being exercised by him/her to avail medical facility under CGHS or other similar Health Scheme of their respective Ministry/Department, is a one-time option and that he has not availed the facility of change of option from CGHS to FMA in the past. The pension disbursing bank

shall, thereafter, stop the payment of FMA in respect of such pensioner/family pensioner and issue a certificate in Form-3 to him/her regarding discontinuance of FMA, **within three working days** from the date of receipt of application.

Thereafter, the pensioner may apply to the concerned CGHS authorities for issue of CGHS card for both OPD as well as IPD facility after paying requisite CGHS contribution, if not already paid. The CGHS authorities will, issue the CGHS Card (including OPD facility) to him/her as per their procedure, if the pensioner/family pensioner otherwise fulfils the eligibility conditions for issue of CGHS Card. The CGHS authorities will, however, issue a provisional card to the pensioner/family pensioner **within four working days** from the date of completion of all formalities and deposit of contributions by the pensioner/family pensioner and such provisional Card will remain valid till issue of a final CGHS Card.

(iii) After discontinuing the FMA, the bank will make necessary changes in both halves of PPO in regard to discontinuance of FMA. The CPPC of the concerned bank, shall send an intimation to the Central Pension Accounting Office (CPAO) in the proforma at Form-4 for updating the record. CPAO will thereafter forward the intimation to the concerned Pay & Account Office (PAO) after updating the data in the PARAS (i.e. CPAO's database). On receipt of intimation from CPAO, PAO will inform the change in status to the concerned Head of Office for record.

5. If a pensioner, who is availing CGHS/medical facility for both IPD and OPD, intends to avail FMA while residing in a non-CGHS area or on shifting of residence from a CGHS area to a non-CGHS area, he may apply to the CGHS authorities for surrender of OPD facility under CGHS. On receipt of an application to this effect, the CGHS authorities will make necessary endorsement on the CGHS card and issue a certificate within four working days from the date of receipt of application, that the pensioner/family pensioner is not availing OPD facility and is availing only IPD facility under CGHS. Thereafter, the pensioner will submit an application to the to the Head of Office copy of the surrender certificate for issue of a revised pension payment authority for payment of FMA. The case for issue of the revised pension payment authority will then be processed in the usual manner through PAO and CPAO and sent to the Pension Disbursing Bank for payment of FMA along with monthly pension. The revised Pension Payment Authority will be issued **within two months** from the date of submission of application by the pensioner/family pensioner in this regard. The payment of FMA in such cases will, however, be made **from the date of issue of the surrender certificate by the CGHS authorities**.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
2. CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks
3. Comptroller & Auditor General of India
4. Controller General of Accounts

FMA Form 2

To

The Manager,
............................Bank
....

Sub: Application for discontinuation of Fixed Medical Allowance

Sir/Madam,

I am presently drawing pension/family pension, with FMA, from your Bank and my particulars are as given below:

1. Name :-................................
2. Pension Sanctioning Authority :--------------------------------
3. PPO Number :-........................
4. Bank Account Number :-............................
5. Contact Number :-......................
6. Present Address :-.........................

2. I hereby request you to discontinue my FMA due to the following reason::

   (a) I have changed residence from a Non-CGHS area to a CGHS covered area

   (b) I am residing in a non-CGHS area but intend to avail CGHS facility for both IPD and OPD

* (strike out which is not applicable)

3. It is also requested that a certificate regarding discontinuation of FMA may be issued to me for taking further action in the matter.

(Undertaking)

I hereby declare that the option being exercised by me to avail medical facility under CGHS or other similar Health Scheme of their respective Ministry/Department, is a one-time change in option and that I have not availed the facility of change of option from FMA to CGHS in the past.

Date:

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner)
Name of the Pensioner/Family Pensioner

ACKNOWLEDGEMENT

Received request from Shri/Ms. ...., a pensioner/family pensioner (PPO No. ....) for discontinuation of Fixed Medical Allowance as part of his/her pension.

Date:

Seal of the Bank

Name, Designation & Signature of the representative of the Bank

FMA Form 3

Certificate from Bank regarding Stoppage of Fixed Medical Allowance of pensioner

This is to certify that on receipt of request from the following Pensioner/ Family Pensioner, payment of Fixed Medical Allowance (FMA) as part of his/her pension/family pension has been discontinued by the bank:

Details of Pensioner/ Family Pensioner:

1. Name :- ______________________
2. Pension Sanctioning Authority :- ______________________
3. PPO Number :- ______________________
4. Bank Account Number :- ______________________
5. Contact Number :- ______________________
6. Present Address :- ______________________
7. Date from which FMA has been discontinued :- ______________________
8. Reason given by pensioner/family pension for discontinuation of FMA:

    (a) Change of residence from a non-CGHS area to a CGHS covered area

    (b) Residing in Non CGHS area but intends to avail OPD facility under CGHS

    *(strike out which is not applicable)

The pensioner/family pensioner has given an undertaking to the Bank that the option being exercised by him/her to avail medical facility under CGHS or other similar Health Scheme of their respective Ministry/Department, is a one-time option and that he has not availed the facility of change of option from CGHS to FMA in the past.

...

Encl: Copy of application and undertaking from Pensioner/ Family Pensioner.

(FMA Form-4)

[Intimation to be given by CPPC of the concerned bank to the Central Pension Accounting Office regarding stoppage of Fixed Medical Allowance (FMA)]

To

Central Pension Accounting Office
BhikajiCama Place, Trikoot-II
New Delhi-110066

Sir,

It is intimated that on receipt of a request in this respect, Fixed Medical Allowance to the pensioner/family pensioner, whose details are given below, has been discontinued:

Name of the Pensioner	
PPO Number	
Date of Retirement	
Pay and Accounts Office	
Date of discontinuation of FMA	

Encl: Copy of application from pensioner regarding stoppage of FMA

Signature of Officer issuing Certificate along with stamp of bank

Name of Officer issuing the certificate....

Name and address of Bank.

सं. 1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: मार्च 31, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सभी सीपीपीसी

विषय: जीवन-पर्यंत बकायों के संदाय के लिए पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10.09.1983 (अनुबंध-I) को अधिसूचित पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अनुसार ऐसे पेंशनभोगी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं, उन्हें संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को नामनिर्देशन जमा करना था। प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् सेवानिवृत हुआ है/होगा, उसके लिए उस कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जहां से वह सेवानिवृत हुआ है/हो रहा है, प्रपत्र 'क' तीन प्रति में नामनिर्देशन जमा करना अपेक्षित था/है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन की सत्यापित प्रतिलिपि पेंशनभोगी को वापस करना अपेक्षित है। पेंशन संदाय आदेश के साथ नामनिर्देशन की तीसरी प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वेतन और लेखा अधिकारी/केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

2. पेंशनभोगी, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रपत्र 'क' तीन प्रति में जमा करा कर नामनिर्देशन (नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, या अन्यथा) में परिवर्तन कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकारी नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नामनिर्देशन की सत्यापित दूसरी प्रति पेंशनभोगी को वापस करेगा। तीसरी प्रति उस विभाग के, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ, लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और नामनिर्देशन की मूल प्रति पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास रखी जाएगी। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरांत पेंशन की कोई बकाया राशि होती है, तो ऐसे पेंशन बकायों को उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन उपलब्ध है।

3. इस विभाग में कुछ पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी संघों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ज्यादातर मामलों में, जब पेंशनभोगी पेंशन संवितरण प्राधिकारी(पीडीए) को नामनिर्देशन जमा करता है, बैंक कर्मी इसे जमा करने में आनाकानी करते हैं क्योंकि वे इस नियम से अवगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्देशन बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है, पेंशनभोगी इसे सुरक्षित रखने और आवश्यकतानुसार अभिप्राप्त करने के बारे में अनभिज्ञ हैं क्योंकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं हैं कि इसे बैंक के प्रणाली में फीड किया गया है।

4. इस विभाग में मामले की जांच की गई। पेंशन के आजीवन बकायों के लिए नामनिर्देशन की प्रस्तुति और पावती की प्रक्रिया पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 में अच्छी तरह परिभाषित है। सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन कागजात भरते समय प्रपत्र 'क' में पेंशन बकायों के लिए नामनिर्देशन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह नामनिर्देशन इसके पश्चात पीपीओ सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है।

5. अधिकांश मामलों में, नामनिर्देशन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामनिर्देशनों का भलीभांति रखरखाव नहीं करने के कारण होती है, क्योंकि बैंक द्वारा नामनिर्देशनों का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया होता। समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है जब नामनिर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामनिर्देशन अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी प्रपत्र 'क' में बैंक को नया नामनिर्देशन जमा नहीं कर पाता या बैंक शाखा में बैंक कर्मी अज्ञानतावश नामनिर्देशन स्वीकार नहीं करते।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों को पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामनिर्देशनों का रखरखाव करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है। संक्षेप में, इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंकों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:

<u>मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से प्रपत्र 'क' में नामनिर्देशन तीन प्रतियों में प्राप्त करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से नामनिर्देशन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति पावती के रूप में कर्मचारी को वापस करनी होगी।
ii. नामनिर्देशन प्रपत्र की तीसरी प्रति में नामनिर्देशन की स्वीकृति चिपकाएं और पेंशन संदाय आदेश के साथ सीपीएओ/पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए इसे पेंशन कागजात/पेंशन मामले के साथ लेखा अधिकारी को अग्रेषित करें।

<u>लेखा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए नामनिर्देशन प्रपत्र की तीन प्रतियां, पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे प्रेषित करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करें।

<u>केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. पेंशन संदाय आदेश/विशेष मुहर प्राधिकार के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक को पेंशन संदाय आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए नामनिर्देशन फॉर्म की तीसरी प्रति अग्रेषित करे।

<u>पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

i. लेखा अधिकारी/सीपीएओ से प्राप्त पेंशनभोगी के नामनिर्देशन की तीसरी प्रति को अभिलेख के लिए सुरक्षित रखें।
ii. लेखा कार्यालयों/सीपीएओ से प्राप्त नामनिर्देशनों की बाबत अपनी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।
iii. सभी पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की समीक्षा करें। यदि किसी पेंशनभोगी की बाबत पीडीए/बैंक के रिकॉर्ड में नामनिर्देशन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पेंशनभोगी को पीडीए/बैंक द्वारा उसे तुरंत प्रपत्र 'क' में जमा करने की सलाह दी जाए।
iv. पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के प्रपत्र 'क' (तीन प्रतियों में) में पेंशनभोगी से मौजूदा नामनिर्देशन में किए किसी भी संशोधन/नए नामनिर्देशन को स्वीकार करें और पेंशनभोगी को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर वापस करें।
v. नामनिर्देशन की तीसरी प्रति उस विभाग के सीपीएओ/लेखा अधिकारी को भेजें जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे और नामनिर्देशन की मूल प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें।

vi. पेंशनभोगियों के साथ संव्यवहार करने वाले कर्मचारियों को प्रपत्र 'क' में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए मौजूदा नामनिर्देशन में किसी संशोधन या नए नामनिर्देशन को स्वीकार करने का निर्देश दें।

vii. पेंशनभोगियों से प्राप्त नए नामनिर्देशनों/संशोधनों के संबंध में उनकी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।

viii. पेंशन सेवा पोर्टल या उनके द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य समान पोर्टल में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।

ix. पेंशनभोगियों को उनके द्वारा जारी मासिक पेंशन पर्चियों में पेंशन बकाया संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।

7. उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जाए।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
फोन: 24635979

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. लेखा महानियंत्रक/केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी, विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

No. 1/2(40)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3" Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated March 31, 2022

To

The CMDs of Pension Disbursing Banks
CPPCs of Pension Disbursing Banks

Subject: Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears

I am directed to say that in accordance with the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 notified on 10.09.1983 (Annexure-1), pensioners who retired before the notification of the Rules were required to submit nomination to the respective Pension Disbursing Authority. Every employee who retired or will retire after the notification of the Rules, was/is required to submit the nomination, in triplicate, in Form "A" to the Head of Office or the Department from where he retired/ is retiring. The Head of Office is required to return a duly attested duplicate copy of the nomination in Form "A" to the pensioner. The triplicate copy of the nomination is to be passed on to the Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order, through the PAO/CPAO.

2. The pensioner can, subsequently, modify the nomination (if nominee pre-deceases the pensioner, or otherwise) by submitting Form "A" in triplicate to the Pension Disbursing Authority. The Pension Disbursing Authority is required to return to the pensioner the duly attested duplicate copy of the nomination within thirty days of the receipt of nomination. The triplicate copy is to be sent to the Accounts Officer of the Department from where the pensioner had retired while the original copy of the nomination shall be recorded with the PDA. If any arrears of pension accrue after the death of a pensioner, such arrears of pension are paid to the person in whose favour a nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 exists.

3. Representations have been received in this Department from some pensioners/pensioners' associations that, quite often, when pensioners submit their nominations to the Pension Disbursing Authority (PDA), there is reluctance on the part of the bank staff to accept these nominations as they are not quite conversant with the above rules. Further, in case a nomination is accepted by the bank, the pensioner is not aware of its safe custody and its retrieval when needed because he is not sure whether the nomination has been fed into the system of the Bank.

4. The matter has been examined in this Department. The procedure for submission and acknowledgement of nominations for life-time arrears of pension is well defined in the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. All retiring Government employees are mandatorily required to submit the nomination for arrears of pension in Form A while filling up the pension papers. This nomination is then forwarded to the Pension Disbursing Authority along with the PPO.

5. In most cases, the problem of non-availability of nomination may be due to improper handling of the nominations by the Banks, as the Banks may not be keeping a proper record of the nominations. The problem may also arise if the nomination submitted at the time of retirement becomes invalid on account of the nominee predeceasing the pensioner or for some other reason and the pensioner fails to submit a fresh nomination to the Bank in Form A or the staff in the Bank Branches does not accept the nomination due to ignorance.

6. In view of the above, all Ministries/Departments, Accounts Offices/CPAO and Pension Disbursing Authorities/Banks are enjoined upon to strictly follow the procedure for handling of the nominations of the pensioners submitted under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. In short, the following actions are required to be taken by Ministries/Departments, Accounts Offices/CPAO and Pension Disbursing Authorities/Banks in this regard:

Actions by Ministries/Departments and attached/subordinate offices thereunder

i. Obtain nomination in Form A from the retiring employees, in triplicate. The Head of Office or Department must return the duly attested duplicate copy of the nomination to the retiring employee, as acknowledgement, within 30 days of the receipt of nomination from the retiring employee.

ii. Affix the acceptance of nomination in the triplicate copy of the nomination form and forward it to the Accounts Officer, along with the pension papers/pension case, for onward transmission to the CPAO/Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order.

Action by the Accounts Officers

i. Forward the triplicate copy of the nomination form, duly accepted by the Head of Office, along with the Pension Payment Order, to the Central Pension Accounting Office for onward transmission to the Pension Disbursing Authority along with the Pension Payment Order/Special Seal Authority.

Action by the Central Pension Accounting Office

i Forward the triplicate copy of the nomination form, duly accepted by the Head of Office, along with the Pension Payment Order to the Pension Disbursing Authority/Bank along with the Pension Payment Order/Special Seal Authority.

Actions by the Pension Disbursing Authority/Bank

i. Retain the triplicate copy of the nomination of the pensioner, as received from Accounts Officer/CPAO, for record.

ii. Keep a proper record in their system in respect of the nominations received from the Accounts offices/CPAO.

iii. Review the availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in respect of all pensioners. In case, nomination in respect of any pensioner is not available in the record of the PDA/Bank, the concerned pensioner may be advised by the PDA/Bank to submit the same in Form A forthwith

iv. Accept any modification of existing nomination/fresh nomination from the pensioner in Form A (in triplicate) of the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and return to the pensioner the duly attested duplicate copy of the nomination within thirty days of the receipt of nomination.

v. Send the triplicate copy of the nomination to the CPAO/Accounts Officer of the Department from where the pensioner had retired and retain the original copy of the nomination for record.

vi. Instruct the staff dealing with pensioners to accept any fresh nomination or modification in the existing nomination submitted by the pensioners in Form A.

vii. Keep a proper record in their system in respect of the fresh nominations/modifications received from the pensioners.

viii. Indicate the status of availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in Pension Seva Portals or any other similar portal maintained by them.

ix. Indicate the status of availability of nomination under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in the monthly pension slips issued by them to the pensioners.

7. The above instructions may be circulated widely for strict compliance by all concerned.

8. This issues with the approval of Competent Authority.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India
Ph-24635979

Copy to:-

1. All Ministries/Departments
2. CGA/CPAO
3. C&AG/AGs
4. NIC for uploading on Department's Website

सं. 42/07/2022-पी&पी डब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 5 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.01.2022 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27.10.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/07/2021-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को दिनांक 01.01.2022 से मौजूदा 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के ऐसे पेंशनभोगी जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सभी सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी, सिविल पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को शासित करने वाले अन्य उपबंधों को, इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा. 45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी), समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जहां कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

6. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

7. महालेखाकार और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528-टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958/जीए-64(ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय की व्यवस्था करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/2/2022-ई.II (बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/07/2022-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, LokNayakBhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date:- 5th April, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2022.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/7/2021-P&PW(D) dated 27.10.2021 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 31% to 34% w.e.f 01.01.2022.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
ii. The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
iii. All India Service Pensioners
iv. Railway Pensioners/family pensioners
v. Pensioners who are in receipt of provisional pension
vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/2/2022-E.II(B) dated 31.03.2022.

Hindi version will follow.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं.1/2(40)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

सेवा में,

पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी

विषयः पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 के अधीन जीवन-काल बकायों के संदाय के लिए पेंशनभोगियों द्वारा नामनिर्देशन।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.03.2022 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.03.2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-235 की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसमें पेंशनभोगी द्वारा जीवन-काल बकायों के नामनिर्देशन के लिए प्रपत्र 'क' निर्धारित किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष के साथ-साथ बैंक को नामनिर्देशन जमा करने के लिए इस प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा। अतः, बैंक को नामनिर्देशन/उपांतरण जमा करने के लिए 28.03.2014 से पूर्व प्रयोग किया जा रहा प्रपत्र-'ख', अब अस्तित्व में नहीं है।

2. इस विभाग में संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि मृतक पेंशनभोगियों की पेंशन प्रायः वेतन आयोग आदि की सिफारिश के आधार पर संशोधित नहीं की जाती है और पेंशन संवितरण बैंक द्वारा मृतक पेंशनभोगी की बाबत पेंशन के बकायों का संदाय नामनिर्देशिती को नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो 01.01.2016 को जीवित थे, की बाबत संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाना अपेक्षित है और ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी मृत्यु 01.01.2016 के पश्चात् हुई है, के परिवारों को जीवन-काल बकायों का संदाय करना अपेक्षित है।

3. मृतक पेंशनभोगी, जिसके मामले में; पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक के पास वैध नामनिर्देशन मौजूद है के संबंध में बकायों का भुगतान। इस संबंध में, नई योजना पुस्तिका (5वां संस्करण, जुलाई 2021) के पैरा 21.5.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नवत पुनः प्रस्तुत है:-

21.5.1- <u>ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में है:</u>

सीपीपीसी पीपीओ के संवितरणकर्ता भाग में पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख दर्ज करेगा और इस जानकारी को उपयुक्त ऑडिट ट्रेल के साथ अपने डेटाबेस पर और अनुबंध-IX के रूप में उनके सॉफ्टवेयर में बनाए गए रजिस्टर में रखेगा। पीएएचबी द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि पेंशनभोगी के आधे भाग में की जाएगी। यदि कुटुंब पेंशन उसी पीपीओ द्वारा अधिकृत है, तो पीपीओ के पेंशनभोगी का आधा भाग नामनिर्देशिती को वापस किया जाएगा; अन्यथा इसे सीपीपीसी द्वारा संवितरणकर्ता के आधे भाग के साथ सीपीएओ को वापस

कर दिया जाएगा। सीपीएओ अपने रिकॉर्ड को अद्यतित करेगा और अपने रिकॉर्ड में आवश्यक नोट रखने के बाद पीपीओ के दोनों हिस्सों को पीएओ/एजी को प्रेषित करेगा, जिन्होंने इस कार्रवाई और रिकॉर्ड के लिए पीपीओ जारी किया था। नामनिर्देशिती को बकायों के संदाय के लिए, बकायों की अवधि दर्शाते हुए पेंशनभोगी के पीपीओ के आधे भाग के साथ पीएएचबी में आवेदन करने को कहा जाएगा। पीएएचबी, इस तथ्य कि संदाय वास्तव में मृतक पेंशनभोगी को देय है, और नामनिर्देशन में दिए गए नामनिर्देशिती के विवरण की पुष्टि करने के बाद, दावेदार के खाते में जमा करके संदाय करने के लिए पीपीओ के पेंशनभोगियों के भाग के साथ सीपीपीसी को सूचित करेगा। इस नियम के उपबंध उन मामलों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा जहां कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु, उसके पुनर्विवाह/विवाह या पेंशनभोगी द्वारा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु प्राप्त करने पर कुटुंब पेंशन का संदाय बंद हो जाता है।

21.5.2- <u>ऐसे मामले जहां वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है</u>:-

पेंशनभोगी द्वारा कोई नामनिर्देशन न किए जाने पर, उसकी पेंशन के बकायों का संदाय भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 10.07.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/22/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

4 उपरोक्त निर्देश सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए व्यापक रूप से परिचालित किए जाएं।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजय

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन-24635979

प्रति:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. सीजीए/सीपीएओ
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/महालेखापरीक्षक
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पष्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं0

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं .... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : —

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष / प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम............................ कार्यालय............ द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख ...., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ .... खंड .... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984

2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984

3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,–

(a) in rule 5,–

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely –

"(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form 'A' to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).";

(ii) sub-rule (6), shall be omitted;

(b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;

(c) for Form A, the following shall be substituted, namely:–

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with empl-oyee/ pensi-oner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated ...., under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari....................................

Designation..

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page ....Volume..........of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt...

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

   (क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, ।"पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

   (ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

संख्या 1/22/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक: 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)–ई.वी/83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/–रू0 से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/–रू0 से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/–रू0 और 25,000/–रू0 से बढ़ाकर क्रमश: 50,000/–रूपये और 2,50,000/–रूपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुन: उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/–रू0 से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रू0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000रू0 से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वेध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95–पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/–रू0 से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी/2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए–III/2011–12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
इस विभाग में उपलब्ध डाकपता–सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी–संघ।

No. 1/2(40)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3" Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated April 6, 2022

To

The CMDs of Pension Disbursing Banks
CPPCs of Pension Disbursing Banks

Subject: Nomination by pensioners under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 for payment of life-time arrears.

In continuation of DoP&PW Letter of even number dated 31.03.2022, the undersigned is directed to enclose a copy of Notification No GSR-235 dated 28.03.2014 wherein Form-A has been prescribed for Nomination by a pensioner for life time arrears. This Form is to be used for submission of nomination to Head of Office as well as Bank. Therefore, Form-B which was being used for submission of nomination/modification to the Bank before 28.03.2014 no longer exists.

2. References/representations have been received in this Department mentioning that Pension of deceased pensioners is not often revised based on recommendation of Pay Commission etc and arrears of pension in respect of deceased pensioner are not paid by the Pension Disbursing Bank to the nominee. It is clarified that revised pension payment authority is required to be issued in respect of all pensioners/family pensioners who were alive as on 01.01.2016 and lifetime arrears is required to be paid to the families of such pensioners/family pensioners who died after 01.01.2016.

3. Payment of Arrears in respect of deceased pensioner, in whose case; a valid nomination exists with the Pension Disbursing Authority/Bank. In this connection, attention is invited to para 21.5.1 of the new Scheme Booklet, (5^{th} Edition, July 2021) which is reproduced below:-

21.5.1- Cases where valid nomination exists:

The CPPC will enter the date of death of the pensioner in the disburser's portion of the PPO and will retain this information on its database with suitable audit trail and in the register maintained in their software in the form as Annexure-IX. An entry for date of death of the pensioner will be made in pensioner's half by PAHB. The pensioner's half of PPO will then be returned to the nominee if family pension stands authorised through the same PPO; otherwise it will be returned by CPPC to CPAO along with the disburser's half. The CPAO will up-date its record and transmit both halves of the PPO after keeping necessary note in their records to the PAO/AG who had issued the PPO for similar action and record. For payment of arrears to the nominee, he/she will be asked to apply for the same to the PAHB along with the pensioner's half of the PPO showing the period of arrears. The PAHB, after verifying the fact that the payment is actually due to the deceased pensioner, and also the particulars of the nominee as given in the nomination, will intimate the CPPC along with pensioners portion of PPO for making payment by crediting the account of the claimant. The provision of this rule will apply mutatis mutandis to cases where the family pension ceases to be payable either due to death of the family pensioner, his/her remarriage/marriage or on the pensioner attaining the maximum age prescribed in the rules.

21.5.2- Cases where valid nomination does not exist:-

In the absence of any nomination made by the pensioner, the arrear of his/her pension are paid as per procedure prescribed in the Government of India, Ministry of PPG & Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare New Delhi OM No. 1/22/2012-P&PW (E) dated 10.07.2013.

4 The above instructions may be circulated widely for strict compliance by all concerned.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India
Ph-24635979

Copy to:-

1. All Ministries/Departments
2. CGA/CPAO
3. C&AG/AGs
4. NIC for uploading on Department's Website

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं0

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं .... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष / प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम........................... कार्यालय............ द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख ...., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ .... खंड .... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984

2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984

3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,–

(a) in rule 5,–

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely –

"(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form 'A' to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).";

(ii) sub-rule (6), shall be omitted;

(b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;

(c) for Form A, the following shall be substituted, namely:–

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with empl-oyee/ pensi-oner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated ...., under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari......................................

Designation..

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page ....Volume..........of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt...

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

(क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, ।"पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

No. 1/22/2012-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi
Dated: 10th July, 2013

Office Memorandum

Sub: (i) Payment of arrears of pension in cases where valid nomination has not been made under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983;
(ii) payment of arrears of family pension – reg.

Attention is invited to the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 which provide that after the death of the pensioner, all moneys payable to the pensioner on account of pension will be paid to the nominee of the deceased pensioner. In the absence of any nomination made by the pensioner, the arrears of his/her pension are paid to the legal heir as per the procedure indicated in para 4 of part A of annexure to Ministry of Finance OM No. 1(3)-E.V/83, dated 11.10.1983. However, dependants of some pensioners expressed difficulties in obtaining the legal heir-ship certificates and represented that the necessity of production of legal heir-ship certificates may be waived where the amount of arrears payable is small.

2. The matter had been examined in Ministry of Finance, D/o Expenditure vide OM dated 04/06/1985 and it was decided that in case where a valid nomination does not exist under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and the dependent of pensioner is unable to produce the legal heir-ship certificate, the Payment of Lifetime Arrears of Pension accruing to the deceased pensioner may be authorized on the basis of any documentary proof regarding the relationship and heir-ship of the claimant if the gross amount of arrear does not exceed Rupees 25,000. In such cases, if the gross amount did not exceed Rupees 5,000 and case represented no peculiar features, the accounts officer was authorised to make the payment on his own authority.

3. The Government has further looked into the matter and decided to increase the limits of Rupees 5000 and 25000 as indicated in Department of Expenditure OM, dated 4.6.85 to Rupees 50,000 and 2,50,000 respectively. The conditions and the procedure of payment as indicated in Department of Expenditure OM, dated 22.10.1983 and 04.06.1985 will remain the same, which are reiterated hereunder.

4. The Pension Disbursing Authority (PDA) may receive application along with any documentary proof regarding the relationship and heir-ship of the claimant. In case the claimant is the recipient of family pension, the disbursing Officer will verify the identity of the claimant with reference to the disburser's half as well as pensioner's half of the PPO and give a certificate of having done so. PDA will duly attest the documents received from the applicant and forward these along with the application to the Accounts Officer. The Accounts Officer, on receipt of application along with a copy of PPO of the pensioner and other documents from the PDA, will calculate the amount of arrears and issue necessary authority for payment of life-time arrears to the disbursing authority if the case does not present any peculiar features and the amount does not exceed Rs.50,000. In case the amount exceeds Rupees 50,000 but does not exceed Rupees 2,50,000, the Accounts Officer will obtain the

orders of the Head of Department or Administrator or the CAG in the case of pensioners from Indian Audit & Accounts Department or any Officer of that Department declared as an HOD. Payment will be made on execution of a duly stamped indemnity bond in Form T.R. 14/G.A.R. 26, with such sureties as necessary in terms of para 7 below. In case of any doubt and also in cases where the amount of arrears exceeds Rupees 2,50,000, payments shall be authorized to be made only to the persons producing the legal authority.

5. This department's OM No. 43/4/95-P&PW(G), dated 30.10.1995 stipulates that in the event of death of a family pensioner, the right to receive any arrears of family pension would automatically pass on to the eligible member of the family next in line. The requirement of succession certificate for payment of any arrears occurs only where there is no member in the family who is eligible to receive family pension after the death of the family pensioner. Therefore, it has been decided that the provisions of this office memorandum will also apply to the payment of arrears of family pension where no member of family is eligible to receive family pension.

6. The Head of Department here means the Head of Department as defined in rule 2 (xvi) of the General Financial Rules, 2005. However, in order to ensure that the citizens do not have to face unnecessary hardships, it has been decided that in the case of field establishments, the Administrative Ministries/Departments may delegate the power of Head of Department to the Head of Office in the rank of Deputy Secretary/Director, if felt necessary by them. It is also clarified that this OM will cover all such past cases.

7. Normally, there should be two sureties, both of known financial stability. However, in case the amount of claim is less than Rs.75,000/-, the authority accepting the indemnity bond for and on behalf the President of India should decide on the merits of each case whether to accept only one surety instead of two. The obligor as well as the sureties executing the indemnity bond should have attained majority so that the bond has legal effect or force. The bond is required to be accepted on behalf of the President by an officer duly authorised under Article 299 (1) of the Constitution.

8. These orders will not be applicable in cases where a valid nomination exists under the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983. In such cases, the payment of arrears will be authorised to be made to the nominee (s).

9. As regards pensioners/family pensioners belonging to the Indian Audit and Accounts Departments, these Orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

10. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID Note No.568/E.V/2013, dated 28th June, 2013 and O/o Controller General of Accounts vide their ID No. 1(7)/TA-III/2011-12/Miscl/116, dated 13.02.2013.

Choudhury

(Sujasha Choudhury)
Deputy Secretary to the Govt. of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. O/o The Comptroller & Auditor General of India
3. O/o The Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
4. Pensioners' Associations as per mailing list maintained in this department.

संख्या 1/22/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 10 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः (i) ऐसे मामलों में पेंशन की बकाया राशि का भुगतान, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन नहीं किया गया है।
(ii) पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी को देय पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान मृत पेंशनभोगी के नामिती को किया जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी पेंशन का भुगतान, वित मंत्रालय के दिनांक 11.10.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)–ई.वी/83 के अनुलग्नक के भाग क के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वैध वारिस को किया जाता है। हालांकि कुछ पेंशनभोगियों के आश्रितों ने वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई व्यक्त की है और प्रतिवेदन दिया है कि उन मामलों में वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जहां देय धनराशि कम है।

2. वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि यदि पेंशन बकाया का भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के तहत वैध नामांकन मौजूद नहीं है और पेंशनभोगी का आश्रित व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और यदि कुल बकाया राशि 25,000/–रू0 से अधिक नहीं है, तो दावेदार द्वारा पेंशनभोगी से संबंध और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजी सबूत के आधार पर मृत पेंशनभोगी को देय पेंशन के बकाया के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, यदि कुल धनराशि 5000/–रू0 से अधिक नहीं होती और मामले की कोई अलग विशेषता नहीं होती, तो लेखा अधिकारी को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त था।

3. सरकार ने मामले पर आगे विचार किया और व्यय विभाग के दिनांक 4.6.85 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सीमाओं को 5000/–रू0 और 25,000/–रू0 से बढ़ाकर क्रमशः 50,000/–रूपये और 2,50,000/–रूपये करने का निर्णय लिया है। व्यय विभाग के दिनांक 22.10.1983 और 04.06.1985 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित भुगतान की शर्तें और प्रक्रिया बची रहेगी, जिनका नीचे पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

4. पेंशन वितरण अधिकारी (पीडीए), दावेदार का पेंशनभोगी के साथ संबंध और उत्तराधिकार के दस्तावेजी सबूत के साथ आवेदन प्राप्त करेंगे। यदि दावेदार पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता है, तो पेंशन वितरण अधिकारी उसके पास मौजूद पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) और पेंशनभोगी के पास मौजूद पीपीओ से दावेदार की पहचान की पुष्टि करेंगे और इस पुष्टि का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पेंशन वितरण अधिकारी आवेदनकर्ता से प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करेंगे और उन्हें आवेदन के साथ लेखा अधिकारी को अग्रषित करेंगे। लेखा अधिकारी, पीडीए से पेंशनभोगी के पीपीओ की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, बकाया राशि की गणना करेंगे और यदि मामला असामान्य नहीं है और धनराशि 50,000/–रू0 से अधिक नहीं है तो वितरण अधिकारी को बकाया पेंशन के भुगतान का आवश्यक प्राधिकार जारी करेंगे। यदि धनराशि, 50,000रू0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 से कम है तो लेखा अधिकारी, विभागाध्यक्ष या प्रशासक या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में भारतीय महालेखा परीक्षक (सीएजी) या विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित उस विभाग

के किसी अन्य अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। फॉर्म टी.आर.14/जी.ए.आर.26 में विधिवत स्टैम्प लगे क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसके साथ नीचे पैरा 7 में उल्लिखित यथावश्यक जमानत संलग्न हों, प्रस्तुत करने पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का संदेह होने और 2,50,000रू0 से अधिक धनराशि होने के मामलों में केवल वेध प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को ही भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

5. इस विभाग के दिनांक 30.10.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/4/95–पी.एंड पी.डब्ल्यू (जी) में निहित है कि पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त करने का अधिकार परिवार के अगले क्रम वाले पात्र सदस्य को मिल जाएगा। बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत केवल तभी पड़ती है, जब पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार में कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां परिवार का कोई भी सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र नहीं है, वहां भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध लागू होंगे।

6. यहां विभागाध्यक्ष का अर्थ, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 2 (xvi) में परिभाषित विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, यह निर्णय लिया गया है कि फील्ड कार्यालयों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, यदि जरूरी समझे तो उपसचिव/निदेशक स्तर के कार्यालयाध्यक्षों को, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के ऐसे सभी मामले इसी कार्यालय ज्ञापन के अधीन होंगे।

7. सामान्यतः दो जमानतें होनी चाहिए, और दोनों वित्तीय स्थायित्व वाली हों। तथापि, यदि दावा राशि 75,000/–रू0 से कम है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर यह निर्णय लें कि दो की बजाय एक ही जमानत ली जाए अथवा नहीं। क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने वाला और जमानती दोनों ही व्यस्क होने चाहिए ताकि बंधपत्र वैध हो। बंधपत्र, संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाएंगे।

8. ऐसे मामलों में ये आदेश लागू नहीं होंगे, जहां पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 के तहत वैध नामांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में नामिती/नामितियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

10. यह कार्यालय ज्ञापन वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 28 जून, 2013 के आई डी नोट संख्या 568/ई.वी/2013 और महालेखा नियंत्रक कार्यालय के दिनांक 13.02.2013 के आई डी संख्या 1(7)/टीए–III/2011–12/विविध/116 की सहमति से जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
इस विभाग में उपलब्ध डाकपता–सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी–संघ।

सं.57/03/2020-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक-28.04.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए लापता सरकारी कर्मचारियों के कुटुंब को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के अधीन हितलाभ देने के प्रावधान से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा नई पेंशन प्रणाली (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है) को लागू किया गया था। यह प्रावधान किया गया कि 1 जनवरी, 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्रीय सरकारी सेवा में नियुक्त सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली में संशोधन किया गया कि उक्त नियम 31.12.2003 को या उससे पूर्व नियुक्त हुए सरकारी सेवकों पर लागू होंगे।

2. तथापि, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा. सं. 38/41/06/पी&पीडब्ल्यू(ए) द्वारा एनपीसएस द्वारा कवर किए गए सरकारी सेवकों की मृत्यु होने या अशक्तता/नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त कर दिए जाने की दशा में, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के लाभ अनंतिम आधार पर प्रदान किए गए थे।

3. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को दिनांक 31.03.2021 को अधिसूचित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमों का लाभ लेने के लिए, विकल्प चयन करने अथवा एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर अथवा अशक्तता/नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उनकी संचित पेंशन निधि से लाभ लेने के लिए विकल्प का चयन करने का प्रावधान किया गया है।

सिद्धेश्वर

4. यदि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किया गया सरकारी सेवक लापता हो जाता है, तो इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. सं.1/17/2011-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब को वेतन बकायों, कुटुंब पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का संदाय किया जाता है। दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. के उपबंधों को एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए ऐसे सरकारी सेवक, जो सेवा के दौरान लापता हो जाते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सका, के लिए विस्तारित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और व्यय विभाग के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है। ऐसे सरकारी सेवकों के कुटुंब द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. सं.1/17/2011-पी&पीडब्ल्यू(ई) का लाभ एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी सेवकों, जो सेवा के दौरान लापता हो गए, के कुटुंब को देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ऐसे सभी मामलों में जहां एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी सेवक, सेवा के दौरान लापता हो जाता है और उसने सेवा के दौरान इस आशय का विकल्प दिया था कि उसकी मृत्यु होने पर अथवा अशक्तता/नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में उसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम के अधीन हितलाभ दिया जाए अथवा उसके मामले में केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अधीन दिया गया हितलाभ डिफॉल्ट विकल्प लागू होता हो तो उसके कुटुंब को कुटुंब पेंशन दी जा सकेगी। वेतन बकायों, सेवानिवृत्ति उपदान और छुट्टी नकदीकरण का लाभ उन सभी मामलों में कुटुंब को प्रदान किया जा सकेगा, जहां एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, इस बात का विचार किए बिना कि कर्मचारी ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के अधीन हितलाभ के विकल्प का चयन किया है या नहीं। तथापि, लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब को हितलाभ का संदाय, इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. में यथाउल्लिखित शर्तों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

6. यदि एनपीएस के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी सेवक सेवा के दौरान लापता हो जाता है और उसके कुटुंब को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन कुटुंब पेंशन दी जाती है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सरकारी कर्मचारी के पुन: प्रकट होने या विधि के अनुसार उसके मृत घोषित किए जाने तक निलंबित रहेगा। सरकारी सेवक के पुन: प्रकट होने की दशा में, एनपीएस खाता पुन: सक्रिय हो जाएगा और एनपीएस के अंतर्गत वही खाता चालू हो जाएगा। लापता एनपीएस कर्मचारी के कुटुंब को किए गए संदाय की वसूली इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. में यथाउपबंधित क्षतिपूर्ति नियमों के अनुसार की जाएगी। तथापि, किसी भी समय या सात वर्ष के पश्चात् सरकारी कर्मचारी के मृत घोषित किए जाने पर, एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और संचित पेंशन रकम से प्रतिलाभ सरकारी खाते में अंतरित किया जाएगा और शेष रकम जिसमें कर्मचारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सम्मिलित है, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तरधिकारी को केंद्रीय सिविल सेवा(एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अनुसार संदत्त किया जाएगा और कुटुंब, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अनुसार हितलाभ प्राप्त करता रहेगा।

7. सरकारी सेवक या कुटुंब द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए दावा, प्रासंगिक नियमों तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.06.2013 के का.ज्ञा. में यथाविहित रीति से प्रस्तुत किया जा सकेगा। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली अथवा केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) के अधीन हितलाभ प्रदान करने की प्रक्रिया सरकारी सेवक द्वारा दिए गए विकल्प या केंद्रीय सिविल सेवा(एनपीएस का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अधीन विहित डिफॉल्ट विकल्प के अनुसार प्रारंभ की जाएगी। साथ ही, एनपीएस के अंतर्गत खाते को फ्रीज करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली अथवा केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ प्रदान करने की प्रक्रिया, एनपीएस के अंतर्गत खाते को फ्रीज करने की प्रक्रिया के पूरा होने तक टाली नहीं जाएगी।

8. ये आदेश 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली में यथाउपबंधित, सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित संदाय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर समय-समय पर लागू दरों और ऐसी रीति से ब्याज संदत्त किया जाएगा। तथापि, इन अनुदेशों के जारी होने से पूर्व किसी बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

9. ऐसे सभी मामलों में जहां किसी लापता सरकारी सेवक, जिसका पता नहीं लगाया जा सका था, के पुन: प्रकट होने पर तथा जहां पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन हितलाभ प्रदान किया गया, यदि संदत्त कुटुंब पेंशन की राशि वसूलीयोग्य परिलब्धियों से अधिक हो, तो मामले को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से सुलझाया जाएगा।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की अंतर्वस्तु को अपने अधीन लेखा नियंत्रकों/वेतन एवं लेखा अधिकारियों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

11. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29.03.2022 के आई.डी. नोट सं.I(II)/ईवी/2021 द्वारा और लेखा महानियंत्रक के दिनांक 15.03.2021 के आई.डी. नोट सं.टीए-3-104/5/2019-टीए-III/सीएस-557/235 द्वारा परामर्श करके जारी किया जाता है।

12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

3. राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में महालेखाकार।
4. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
7. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
8. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
9. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।

No. 57/03/2020-P&PW (B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 28th April, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Provision for extending benefits under CCS (Pension) Rules or CCS (EOP) Rules to family of missing Central Government employees covered under National Pension System (NPS)-reg.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) (NPS) was introduced vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' notification No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January 2004 except the Armed Forces. Simultaneously, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules were amended to provide that those rules would be applicable to the Government servants appointed on or before 31.12.2003.

2. However, considering the hardship being faced by the Government servants appointed on or after 01.01.2004, benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, as the case may be, were extended on provisional basis, in the event of death of Government servant covered by NPS or his discharge from service on invalidation / disablement, vide this Department's OM No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05.05.2009.

3. Further, the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 have been notified on 31.03.2021 inter-alia providing Government servants covered under these rules for exercise of options during their service for availing benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS(Extraordinary Pension) Rules, as the case may be, or benefits from their Accumulated Pension Corpus under National Pension System, in the event of death of the Government servant covered under NPS or his discharge from service on account of invalidation or disablement.

4. If a Government servant covered by the CCS (Pension) Rules, 1972 goes missing, the benefits of arrears of salary, family pension, retirement gratuity, leave encashment, etc. are paid to the families of the missing employees in accordance with the instructions issued vide this Department's OM No. 1/17/2011-P&PW(E) dated 25.06.2013. References have been received from Ministries / Departments for extending the provisions of the OM dated 25.06.2013 to Government servants covered under NPS, who go missing during service and whose whereabouts are not known.

5. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel and Training, Department of Financial Services and Department of Expenditure. Considering the hardship faced by the family of such Government servants, it has been decided to extend the benefits of this Department's OM No. 1/17/2011-P&PW(E) dated 25.06.2013 to the families of Government servants covered by NPS who go missing during service. Accordingly, in all cases where a Government servant covered by NPS goes missing during service, the benefits of family pension may be paid to the family if the missing Government servant had exercised option for benefits under CCS (Pension) Rules on death or discharge from service on disability/invalidation or the benefits under CCS (Pension) Rules is the default option under the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021. The benefit of arrears of salary, retirement gratuity and leave encashment shall be paid to the family in all cases where a Government employee covered under NPS goes missing during service, irrespective whether the employee had exercised option for benefits under CCS (Pension) Rules or under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. Payment of the benefits to the family of the missing Government servant would, however, be subject to the conditions and procedural requirements, as mentioned in this Department's OM dated 25.06.2013.

6. In the case of a Government servant covered under NPS goes missing during service and his family is given family pension under CCS(Pension) Rules or CCS(EOP) Rules, the Permanent Retirement Account under National Pension System would remain suspended till the Government servant re-appears or till he is declared dead in accordance with the law. In the event of re-appearance of Government servant, the NPS account would be re-activated and the same account under NPS will become operative. Recoveries of payments made to the family of missing NPS employee would be made from the indemner as provided under this Department's OM dated 25.06.2013. However, in the event of Government servant being declared dead at any time or after seven years, Government contribution and returns thereon from the accumulated pension corpus under NPS would be transferred to the Government account and remaining corpus comprising of employees' contribution and returns thereon would be paid to the nominee or legal heir as the case may be in accordance with CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021 and family will keep getting benefits as per CCS (Pension) Rules or CCS(EOP) Rules, as the case may be.

7. The claim by the Government servant or the family for getting benefits under CCS (Pension) Rules, or CCS(EOP) Rules, as the case may be, would be submitted in the same manner as prescribed under the relevant rules and DoPPW OM dated 25.06.2013. The process for grant of benefits under CCS(Pension) Rules, or CCS(EOP) Rules would be initiated in accordance with the option exercised by the Government servant or default option prescribed under CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021. Necessary action for freezing of account under NPS would be started simultaneously and the process of grant of benefits under CCS(Pension) Rules or CCS(EOP) Rules, as the case may be, should not be deferred till the process of freezing of account under NPS is completed.

8. These orders shall take effect from 01.01.2004. Interest on delayed payment of retirement gratuity, as provided under the CCS(Pension) Rules, would be paid at the rates and manner applicable for Public Provident Funds deposits from time to time. However, no interest would be paid for any amount due before issue of these instructions.

9. In all those cases where on re-appearing of Government servant whose whereabouts were not known, and where benefits under DoPPW OM dated 25.06.2013 have been paid, the quantum of family pension awarded exceeds the recoverable emoluments, the matter needs to be settled in consultation with Department of Pension and Pensioners' Welfare and Department of Expenditure.

10 All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts / Pay and Accounts Officers and Attached / Subordinate Offices under them.

11. This issues in consultation with of Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure vide ID Note No. 1(11)/EV/2021 dated 29.03.2022 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-104/5/2019-TA-III/CS-557/235 dated 15.03.2021.

12. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

13. Hindi version will follow.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Chief Secretaries of all State Governments/UTs.
3. Accountant Generals in the States and UTs.
4. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
5. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
7. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
8. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
9. AD(OL) for Hindi version.
10. NIC for posting on the website of this Department.

सं.42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 11 मई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2022 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 23.11.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को दिनांक **01.01.2022** से निम्नलिखित रीति से बढ़ाया जाए:-

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 तथा 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, और दिनांक 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा 04 जून, 2013 से समूह क, ख, ग तथा घ के लिए क्रमश: 3000/- रू, 1000/- रू, 750/- रू और 650/- रू के मूल अनुग्रह राशि पाने के हक़दार हैं, अब **01.01.2022** से मूल अनुग्रह राशि के **368%** से मूल अनुग्रह राशि के **381%** तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) सीपीएफ लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां **01.01.2022** से मूल अनुग्रह राशि के **360%** से मूल अनुग्रह राशि के **373%** तक संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए दिवंगत सीपीएफ लाभार्थी या 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र संतानें, 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से 645/- रूपये प्रतिमास की दर पर संशोधित अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं।

जारी/......

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ सहित सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें 654/- रूपये, 659/- रूपये, 703/- रूपये और 965/- रूपये की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के संदाय में जहां रुपये का कोई भाग हो, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

3. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/3(2)/2008-ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/07/2022-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Dated 11th May, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.01.2022 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even no. dated 23.11.2021 and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to the CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment in the 5th CPC series shall be enhanced **w.e.f 01.01.2022** in the following manner :-

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 and 31.12.1985, and are entitled to basic ex-gratia @ Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 shall now be entitled to enhanced Dearness Relief from **368%** of the basic ex-gratia to **381%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2022.**

(ii) The following categories of CPF beneficiaries shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **360%** of the basic ex-gratia to **373%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2022**:-

(a) The widows and eligible children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are entitled to revised ex-gratia @ Rs.645/-p.m w.e.f 04 June, 2013 vide OM No 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

4. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 7th April, 2022.

6. Hindi version will follow.

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं. 1/1(45)/2022-पी&पीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 23 मई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दो कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता-स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से अर्थात सैन्य सेवा और सिविल सेवा की बाबत या स्वायत्त निकाय और सिविल सरकारी विभाग में की गई सेवा की बाबत, कुटुंब पेंशन के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इस विभाग में अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में 27 दिसंबर, 2012 को संशोधन से पूर्व, यदि किसी सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन के विकल्प का चयन किया था, तो उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-क के अनुसार पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को सिविल पक्ष से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति प्रतिबंधित थी। इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-ख के अनुसार किसी व्यक्ति को दो कुटुंब पेंशन देने पर रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा था। दिनांक 27 दिसंबर, 2012 (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) की अधिसूचना संख्या 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू (ई) द्वारा उप-नियम 13-क और 13-ख हटा दिए गए थे। इस प्रकार एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को उक्त संशोधित अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। इस स्थिति को इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/33/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था।

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को 20 दिसंबर, 2021 को पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 की जगह अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 कुटुंब पेंशन से संबंधित है। इस नियम में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित मामले में, एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन देने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में कोई प्रतिबंध नहीं है।

5. तथापि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो कुटुंब पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उप-नियम 12 (क) और उप-नियम 13 में प्रतिबंध के अध्यधीन बनी रहेगी।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
3. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
4. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No. 1/1(45)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel Pension & Public Grievance
Department of Pension & Pensioners' Welfare
(Desk-E)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Dated May 23, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Eligibility for two family pensions- clarification regarding

The undersigned is directed to state that representations/references have been received in this Department seeking clarification in regard to entitlement of a member if family for family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, e.g. in respect of military service and civil service or in respect of service rendered in autonomous body and civil Government Department.

2. Before amendment of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on 27th December, 2012, sub rule 13-A of Rule 54 of those Rules prohibited grant of family pension from the civil side to a re-employed military pensioner, if the military pensioner had opted for family pension for the military service rendered by him. Similarly, sub-rule 13-B of Rule 54 of those Rule prohibited grant of two family pensions to a person who was already in receipt of Family Pension or was eligible therefor under any other rules of the Central Government or a State Government and/or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Local Fund under the Central or a State Government. Sub-rules 13-A and 13-B were omitted vide notification No. I/33/2012-P&PW (E) dated 27th December, 2012 (effective from 24th September, 2012). Thus the restriction on entitlement of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner in such cases was removed by the aforesaid amendment notification. This position was also clarified vide this Department's O.M. No. I/33/2012-P&PW (E) dated 16th January, 2013.

3. The Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 have been notified on 20th December, 2021 replacing the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with family pension. This rule also does not provide for any restriction on grant of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner.

4. In view of the above, it is clarified that there is no restriction in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on grant of family pension to a family member from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, in cases referred to in para 2 above.

5. However, entitlement of two family pensions to a member of the family consequent on death of two different Government servants/pensioners shall continue to be subject to the restriction in sub-rule 12(a) and sub-rule 13 of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. O/o the Comptroller & Auditor General of India
3. O/o the Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
4. NIC-for uploading on Department's Website

सं.38/46/2017-पीएंडपीडब्ल्यू(ए)(4879)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 14.06.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने के पश्चात् अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश/अनुदेश जारी किए गए:

(i) इस विभाग के दिनांक 27.10.1997 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडबल्यू(ए)-पार्ट II द्वारा पूर्व-संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.1996 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए।

(ii) इस विभाग के दिनांक 10.02.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडबल्यू(ए)-पार्ट III द्वारा दिनांक 01.01.1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए।

(iii) इस विभाग के दिनांक 17.12.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/10/98-पीएंडपीडबल्यू(ए) द्वारा अनुदेश जारी किए गए कि उपरोक्त उप-पैरा(i) के तहत समेकित संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पेंशनभोगी द्वारा धारित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01.01.1996 तक संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

(iv) इस विभाग के दिनांक 25.03.2004 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडबल्यू(ए) पार्ट V द्वारा स्पष्टीकरण/अनुदेश जारी किए गए कि उपरोक्त उप-पैरा (ii) और (iii) में

संदर्भित अनुदेश 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए लागू नहीं होगें यदि पेंशनभोगी दिनांक 01.01.1996 से पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के उद्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे।

2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश/अनुदेश जारी किए गए:

(i) इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडबल्यू(ए) द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 में, यह प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में पूर्व-संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, महंगाई पेंशन, महंगाई राहत तथा फीटमेंट लाभ को समेकित करते हुए संशोधन किया जाएगा।

(ii) इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा.सं.38/37/08-पीएंडपीडबल्यू(ए) तथा दिनांक 03.10.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडबल्यू(ए) (पार्ट1) के पैरा 4.2 में, आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन/कुटुंब पेंशन का नियतन इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, किसी भी स्थिति में, पेंशनभोगी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व-संशोधित वेतन मान के अनुरूप वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(iii) इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए), दिनांक 30.7.2015 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए), तथा दिनांक 06.04.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) द्वारा दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 के अनुसार पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के तरीके के संबंध में आगे अनुदेश जारी किए गए।

(iv) इस विभाग के दिनांक 22.07.2011 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 का लाभ ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 और 41 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे।

3. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश/अनुदेश जारी किए गए:

(i) इस विभाग के दिनांक 12.05.2017 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्लयू(ए) द्वारा दिनांक 01.01.2016 तक के वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 2016 से पूर्व के पैंशनभोगियों/कुटुंब पैंशनभोगियों की पैंशन/कुटुंब पैंशन को दिनांक 01.01.2016 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए।

(ii) दिनांक 12.05.2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 11 में, यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 01.01.2016 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करने से संबंधित प्रावधान ऐसे पैंशनभोगियों की पैंशन/कुटुंब पैंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पैंशन या केंद्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियमावली, 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे।

4. इस संबंध में कुछ पैंशनभोगियों से प्राप्त अभ्यावेदनों और कुछ अदालती फैसलों के आधार पर, व्यय विभाग से परामर्श करके मामले पर पुन:विचार किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् पैंशन/कुटुंब पैंशन के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 10.02.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडब्लयू(ए)-पार्ट-III और दिनांक 17.12.1998 के का.ज्ञा.सं.45/10/98-पीएंडपीडब्ल्यू(ए), छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् पैंशन/कुटुंब पैंशन के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) के पैरा 4.2 (समय-समय पर यथासंशोधित/स्पष्ट) तथा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पैंशन/कुटुंब पैंशन के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.05.2017 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्लयू(ए) में निहित प्रावधान ऐसे पैंशनभोगियों की पैंशन/कुटुंब पैंशन के संशोधन के लिए भी लागू होंगे जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पैंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। तदनुसार, 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व तथा 2016 से पूर्व के पैंशनभोगियों की पैंशन में संशोधन करने के लिए जारी उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में ऐसे पैंशनभोगियों/कुटुंब पैंशनभोगियों की पैंशन/कुटुंब पैंशन क्रमश: दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 तथा 01.01.2016 से संशोधित की जायेगी।

5. ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पैंशन या अनुकंपा भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत की गई थी जो पूर्ण पैंशन से कम थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पैंशन घटी हुई प्रारंभिक पैंशन/अनुकंपा भत्ता के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने पर मंजूर की गई थी। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पैंशन/अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम की जाएगी जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने पर पैंशन/अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पैंशन कम की गई थी। ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पैंशन बिना किसी कटौती के

पूर्ण रूप से दी गई थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी।

6. उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित कुटुंब पेंशन की राशि में किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां आरंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ते की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी।

7. तद्नुसार, इस विभाग के दिनांक 25.03.2004 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पीएंडपीडब्लयू(ए) पार्ट V, दिनांक 22.07.2011 के संख्या 38/37/08-पीएंडपीडब्लयू(ए) तथा दिनांक 12.05.2017 के का.ज्ञा. सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्लयू(ए) के पैरा 11 में निहित स्पष्टीकरण/अनुदेश वापस ले लिए गए।

8. तद्नुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ते की मंजूरी दी गई थी, की बाबत दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 तथा 01.01.2016 (जैसा लागू हो) से पेंशन/कुटुंब पेंशन का संशोधन करें।

9. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनके दिनांक 29.04.2022 के आईडी/यू.ओ सं.1(11)/ईवी/2017 द्वारा जारी किए जाते हैं।

10. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

प्रमोद

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

No.38/46/2017-P&PW(A)(4879)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated : 14.06.2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Revision of pension/family pension in respect of the pensioners drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance after compulsorily retirement/dismissal/removal from service-reg.

The undersigned is directed to say that on the recommendations of the 5th Central Pay Commission, the following orders/instructions were issued for revision of pension of pre-1996 pensioners:

(i) Orders issued vide this Department's OM No.45/86/97-P&PW(A)-Part II dated 27.10.1997 for revision of pension/family pension of pre-1996 pensioners/family pensioners by consolidating the pre-revised pension/family pension, dearness relief, interim relief and fitment benefit with effect from 01.01.1996.

(ii) Instructions issued vide this Department's OM No.45/86/97-P&PW(A)-Part III dated 10.02.1998 for revision of pension/family pension of pre-1996 pensioners/family pensioners by notional fixation of pay as on 01.01.1986.

(iii) Instructions issued vide this Department's OM No. 45/10/98-P&PW(A) dated 17.12.1998 that the consolidated revised pension/family pension under sub-para (i) above would be stepped up to 50% / 30% of the minimum of the pay in the revised scale of pay as on 01.01.1996, corresponding to the scale held by the pensioner at the time of retirement/death.

(iv) Clarifications/instructions issued vide this Department's OM No.45/86/97-P&PW(A) Pt.V dated 25.03.2004 that the instructions referred to in sub-para (ii) and (iii) above would not be applicable to the pre-1996 pensioners/family pensioners in cases where pensioners were drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance, for the purpose of revision of pension/family pension w.e.f. 01.01.1996.

2. On the recommendations of the 6th CPC, the following orders/instructions were issued for revision of pension of pre-2006 pensioners:

(i) Orders issued vide this Department's OM No. 38/37/08-P&PW(A) dated 1.9.2008 for revision of pension/family pension of pre-2006 pensioners/family pensioners w.e.f. 01.01.2006. In para 4.1 of this OM, it was provided that pension/family pension of pre-2006 pensioners would be revised by consolidating the pre-revised pension/family pension, dearness pension, dearness relief and fitment benefit.

(ii) In para 4.2 of this Department's OM No. 38/37/08-P&PW(A) dated 1.9.2008 and O.M. No. 38/37/08-P&PW(A)(pt.1) dated 03.10.2008, it was further provided that the fixation of pension/family pension would be subject to the provision that the

revised pension/family pension, in no case, would be lower than 50% /30% of the minimum of the pay in the pay band plus the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale from which the pensioner had retired.

(iii) Further instructions regarding the manner for revision of pension/family pension in terms of para 4.2 of O.M. dated 01.09.2008 were issued vide this Department's O.M. No. 38/37/08-P&PW(A) dated 28.01.2013, 38/37/08-P&PW(A) dated 30.07.2015 and 38/37/08-P&PW (A) dated 06.04.2016.

(iv) It was clarified vide this Department's OM No.38/37/08-P&PW(A) dated 22.07.2011 that the benefit of para 4.2 of the OM dated 01.09.2008 would not be applicable in the case of revision of pension/family pension in respect of the pensioners who were in receipt of compulsory retirement pension and compassionate allowance under Rules 40 and 41 of CCS(Pension) Rules, 1972.

3. On the recommendations of the 7th CPC, following orders/instructions were issued for revision of pension of pre-2016 pensioners:

(i) Orders were issued vide this Department's OM No.38/37/2016-P&PW(A) dated 12.05.2017 for revision of pension/family pension of pre-2016 pensioners/family pensioners w.e.f. 01.01.2016 by notional fixation of pay as on 01.01.2016.

(ii) In para 11 of the said OM dated 12.5.2017, it was provided that the provisions regarding notional fixation of pay as on 01.01.2016 would not be applicable for the purpose of revision of pension/family pension in respect of the pensioners who were drawing compulsory retirement pension under Rule 40 of the CCS (Pension) Rules, 1972 or compassionate allowance under Rule 41 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

4. Based on representations received from some pensioners and also some court decisions in this regard, the matter has been re-considered in consultation with Department of Expenditure. It has now been decided that the provisions contained in this Department's OMs No.45/86/97-P&PW(A)-Part III dated 10.02.1998 and No. 45/10/98-P&PW(A) dated 17.12.1998 regarding revision of pension/family pension after 5th CPC, para 4.2 of this Department's OM No.38/37/08-P&PW(A) dated 01.09.2008 (as amended /clarified from time to time) regarding revision of pension/family pension after 6th CPC and this Department's OM No.38/37/2016-P&PW(A) dated 12.05.2017 regarding revision of pension/family pension after 7th CPC by notional fixation of pay, would also be applicable for revision of pension/family pension in respect of pensioners who were drawing compulsory retirement pension or compassionate allowance. Accordingly, pension/family pension of such pensioners/family pensioners shall be revised w.e.f. 01.01.1996, 01.01.2006 and 01.01.2016 in accordance with the aforesaid orders issued for revision of pension of the pre-1996, pre-2006 and pre-2016 pensioners/family pensioners, respectively.

5. In cases where compulsory retirement pension or compassionate allowance was sanctioned at a rate which was less than full pension, the revised pension computed as per the aforesaid OMs would be proportionate to the reduced initial pension/compassionate allowance which was sanctioned on compulsory retirement/dismissal/removal. In other

words, the revised pension/compassionate allowance computed as per the aforesaid OMs would be reduced by the same percentage by which the initial pension was reduced at the time of sanction of pension/compassionate allowance on compulsory retirement/ dismissal/ removal. In cases where the compulsory retirement pension was given in full without any reduction, the revised pension computed as per the aforesaid OMs would also be given in full without any reduction.

6. There will be no reduction in the amount of family pension computed as per the aforesaid OMs in any case, including in cases where the amount of initial compulsory retirement pension/compassionate allowance was less than full pension.

7. Accordingly, the clarifications/ instructions contained in this Department's OMs No.45/86/97-P&PW(A)pt.V dated 25.03.2004, No.38/37/08-P&PW(A) dated 22.07.2011 and para 11 of OM No.38/37/2016-P&PW(A) dated 12.05.2017 stand withdrawn.

8. All Ministries/Departments are requested to revise the pension/family pension w.e.f. 01.01.1996, 01.01.2006 and 01.01.2016 (as may be applicable) in respect of the pensioners who were sanctioned compulsory retirement pension or compassionate allowance accordingly.

9. These orders are issued with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their ID/U.O No.1(11)/EV/2017 dated 29.04.2022.

10. In so far as persons belonging to the Indian Audit & Accounts Departments, these orders are issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

11. Hindi version will follow.

Pramod Kumar

(Dr. Pramod Kumar)
Director

All Ministries/Departments of Government of India

सं. 3/7/2020-पी&पीडब्ल्यू(एफ)/6728

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-एफ)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- अभिदाता के जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियों से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से उनके जीपीएफ खातों में प्रायः लुप्त क्रेडिट के कई मामलों के कारण, उनकी सेवानिवृति पर, ब्याज सहित जीपीएफ के त्रुटिपूर्ण और विलंबित समायोजन से संबंधित अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जीपीएफ खाते में लुप्त क्रेडिट की सूचना प्रायः ऐसे अभिदाता द्वारा दी गई जो अपनी सेवा के दौरान एक प्रतिस्थापन से अन्य प्रतिस्थापन में स्थानांतरित होते हैं या जिन्हें विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार दिया गया या अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो अपने संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। अतः, इस विभाग ने दिनांक 17.07.2020 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा जीपीएफ खातों में बेहतर पारदर्शिता और जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियों को दूर करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, दिनांक 17.07.2020 के का.ज्ञा. की प्रति संलग्न है।

2. इस संबंध में, इस विभाग द्वारा दिनांक 17.07.2020 को जारी किए गए का.ज्ञा में दिए गए अनुदेशों को, दोहराया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को **सख्ती से अनुपालन** हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विशाल
(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
3. लेखा महानियंत्रक
4. सभी महालेखाकार (राज्य)
5. एनआईसी, डीओपीपीडब्ल्यू, इस विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए

सं. 3/7/2020-पी&पीडब्ल्यू(डेस्क-एफ) ई-6574

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

*****

आठवां तल, बी- विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 17 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अभिदाता के जीपीएफ संचय में लुप्त प्रविष्टियां।

*****

इस कार्यालय को सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से उनके जीपीएफ खातों में प्रायः लुप्त क्रेडिट के कारण, उनकी सेवानिवृत्ति पर, ब्याज सहित जीपीएफ के त्रुटिपूर्ण और विलंबित समायोजन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जीपीएफ खाते में लुप्त क्रेडिट की सूचना प्रायः ऐसे अभिदाताओं द्वारा दी गई जो अपनी सेवा के दौरान एक प्रतिस्थापन से अन्य प्रतिस्थापन में स्थानांतरित होते हैं या जिन्हें विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार दिया गया या अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो अपने संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। इन मामलों में यह देखा गया कि जीपीएफ खाते का रखरखाव, उनके वेतन बिल तैयार करने और उनके जीपीएफ अंशदान की कटौती करने वाले प्रतिस्थापन से भिन्न प्रतिस्थापन द्वारा किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीपीएफ खातों के अद्यतित रखरखाव में किसी भी चूक को दूर करने के लिए ऐसे दो प्रतिस्थापनों के बीच एक समन्वय तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है।

2. ऐसी शिकायतों को दूर करने और बेहतर पारदर्शिता के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि,

i. जीपीएफ खातों का रखरखाव करने वाले सभी कार्यालयों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार, संबंधित अभिदाता को सूचित करते हुए, जीपीएफ अंशदान की कटौती के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को लुप्त क्रेडिट का विवरण देना अनिवार्य होगा।

ii. जीपीएफ खाते की शुरुआत के पश्चात् से सभी क्रेडिट, डेबिट और ब्याज का पूरा विवरण प्रत्येक अभिदाता को अनिवार्य रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व और तत्पश्चात सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व प्रदान किया जाएगा। कोई भी अभिदाता उसे प्रदान किए गए ऐसे विवरण पर एक अभ्यावेदन दे सकता है और जीपीएफ खाते का रखरखाव करने वाला कार्यालय ऐसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करेगा।

3. सभी मंत्रालय/विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को सख्ती से अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(राजेंद्र कुमार दत्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
3. लेखा महानियंत्रक
4. सभी महालेखाकार (राज्य)
5. एनआईसी, डीओपीपीडब्ल्यू, इस विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए

No. 3/7/2020-P&PW (F)/6728
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pension' Welfare
(Desk-F)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated: 18.08.2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Missing entries in GPF accumulation of subscriber regarding.

The undersigned is directed to say that this Department has been receiving representations/grievances from retired government servants for inaccurate and delayed GPF settlement alongwith interest, on their retirement, due to frequent instances of missing credits in their GPF accounts. The missing credits in GPF were reported mostly by subscribers, who during their service moved from one establishment to another or were assigned foreign deputation and also by officers of All India Services, who proceeded on deputation outside their cadres. Therefore, this Department vide OM of even number dated 17.07.2020 issued instructions in respect of GPF accounts for greater transparency and also to avoid missing entries in GPF accumulation, etc. A copy of the OM dated 17.07.2020 is attached.

2. In this connection, the instructions issued in this Department's OM dated 17.07.2020 are reiterated and all Ministries/Departments and their Attached and Subordinate Offices are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for **strict compliance**.

3. This issues with the approval of competent authority in the Department.

विशाल

(विशाल कुमार)
अवरसचिव, भारतसरकार

1. All Ministries/Departments, Government of India
2. Comptroller & Auditor General of India
3. Controller General of Accounts
4. All Accountant General (State)
5. NIC, DoP&PW: for uploading on website of this Department.

No.3/7/2020-P&PW (Desk-F) E.6574
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Pension & Pensioners' Welfare
*****

8th Floor, B-Wing, Janpath Bhavan,
Janpath, New Delhi-110001,
Dated: July 17, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Missing entries in GPF accumulation of subscribers

*****

This office has been receiving grievances from retired government servants for inaccurate and delayed GPF settlement, along with interest, on their retirement, due to frequent instances of missing credits in their GPF accounts. The missing credits in GPF were reported mostly by subscribers, who during their service moved from one establishment to another or were assigned foreign deputation and also by officers of All India Service, who proceeded on deputation outside their cadres. In these cases it was observed that the GPF account is maintained by an establishment different from that generating their salary bills and deducting their GPF subscription. Needless to say that a co-ordination mechanism between such two establishments is most crucial to avoid any lapses in updated maintenance of GPF accounts.

2. In order to avoid such grievances and for the sake of greater transparency, it has henceforth been decided that,

i. it shall be mandatory for all offices maintaining GPF Accounts to intimate the particulars of missing credits, once every financial year, to the authority responsible for deducting the GPF subscription, under intimation to the concerned subscriber.

ii. A complete statement of all credits, debits and interest, since inception of the GPF account, shall be provided to every subscriber, mandatorily two years before his date of retirement and thereafter one year before the date of retirement. Any subscriber can make a representation on such a statement provided to him and the office maintaining the GPF account shall resolve the grievance within 60 days from the date of receipt of such a grievance.

3. The Administrative Divisions of all Ministries/Department and attached/subordinate offices are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for strict compliance.

(Rajendra Kumar Dutta)
Under Secretary to the Government of India
Tel No. 011- 23310106

i. All the Ministries/ Departments, Government of India

ii. Comptroller and Auditor General of India

iii. Controller General of Accounts

iv. All Accountant General (State)

v. NIC, DoPPW: for uploading on website of this Department.

सं.1(8)/2021-पी&पीडबल्यू(एच)-7468

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

8वीं मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 30 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : - वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को पेंशन/कुटुंब पेंशन को आगे जारी रखने के लिए नवंबर मास में **वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र** प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त विशेष खिड़की देने के लिए, इस विभाग ने अपने दिनांक 18.07.2019 के का.ज्ञा.सं. 1/20/2018-पी&पीडबल्यू(ई) द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी थी।

3. वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों को एक बार फिर पेंशनभोगियों की जागरूकता के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र पेंशनभोगी की सुविधा के अनुसार मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है –

i. पेंशन संवितरण बैंकों(पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाणपत्र को अभिलिखित किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।

ii. यदि पेंशनभोगी किसी 'नामित अधिकारी' द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्ररूप प्रस्तुत करता है, तो पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगीI ऐसा पेंशनभोगी जो निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्ररूप में जीवन प्रमाणपत्र सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार प्रस्तुत करता है उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्दिष्ट नामित अधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

iii. पेंशनभोगी **जीवन प्रमाण पोर्टल** के माध्यम ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। "जीवन प्रमाण" के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 पर देखी जा सकती है। यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अनुमत हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए www.uidai.gov.in साइट पर जा सकते हैं।

iv. डाक विभाग के **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक**(आईपीपीबी) ने एमईआईटी के साथ मिलकर नवंबर 2020 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल: "**डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए डोरस्टेप सेवा**" को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आईपीपीबी, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन के लिए डाकघरों में 1,36,000 से अधिक अपने राष्ट्रीय नेटवर्क और स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ 1,89,000 से अधिक डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों का उपयोग डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, पेंशनभोगी को गूगल प्ले स्टोर से "**Postinfo APP**" डाउनलोड करना होगा। डाक सेवकों/ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/cERwM_U7g54 पर देखी जा सकती है।

v. बैंकिंग सुधारों में सुविधा के तहत देश के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए "**डोरस्टेप बैंकिंग**" **12 लोक उपक्रम बैंकों** के माध्यम से भी डोरस्टेप बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग के तहत जीवन प्रमाणपत्र के संग्रहण की सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के घर पर जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा किसी भी 3 चैनल अर्थात मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के माध्यम से इस सेवा को बुक किया जा सकता है।

- मोबाइल ऐप अर्थात "**डोरस्टेप बैंकिंग(डीएसबी)**" को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है ,
- पेंशनभोगी वेब ब्राउजर अर्थात https://doorstepbanks.com/ और https://dsb.imfast.co.in/doorstep/login के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर :- 18001213721, 18001037188 के माध्यम से

vi. पेंशनभोगी यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित **फेस ऑथेंटिकेशन** टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग करके भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिससे जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी की लाइव तस्वीर को कैप्चर करके किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करना संभव है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया प्रवाह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल → जीवन प्रमाण→ डीएलसी तैयार करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया प्रवाह पर उपलब्ध हैI (http://pensionersportal.gov.in/Document/Face%20Authentication%20Process%20Jeevan%20Pramaan%20App%20.pdf)

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन को संज्ञान में लाए और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23310108

सेवा में,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंक और पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के सीएमडी/सीपीपीसी ।
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट - II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
4. सचिव, रक्षा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
9. राज्य के सभी मुख्य सचिव।
10. एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।
11. पेंशनभोगियों के पोर्टल के तहत सभी पेंशनभोगी संघ:- पेंशनभोगियों के बीच प्रचार-प्रसार के लिए।

अनुबंध-I

जीवन प्रमाणपत्र हस्ताक्षर किये जाने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची (सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार)

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार;

(iii) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी;

(iv) पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;

(v) डाकघर का कोई पोस्टमास्टर, विभागीय उप- पोस्टमास्टर या कोई निरीक्षक;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-I अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक के अधिकारी (ग्रेड-II अधिकारी सहित);

(vii) कोई न्यायमूर्ति;

(viii) खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार:

(ix) पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;

(x) किसी गांव की कार्यपालक समिति

(xi) संसद, राज्य विधान सभाओं के सदस्य, या संघ शासित प्रदेशों/प्रशासनों की विधान सभाओं के सदस्य;

(xii) कोषागार अधिकारी।

No. 1(8)/2021-P&PW(H)-7468
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

8th Floor, B-Wing, Janpath Bhawan
Janpath, New Delhi-110001
Dated the 30th September, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Submission of Annual Life Certificate

Every Central Government pensioner has to submit **Annual Life Certificate** in the month of November for further continuation of pension. It has been observed that a large number of Central Government pensioners physically visit bank branches for this purpose.

2. As a measure to enable an additional exclusive window to very senior pensioners, this Department, vide its OM No. 1/20/2018-P&PW(E) dated 18.07.2019, has allowed the pensioners in the age group of 80 years and above, to submit Annual Life Certificate from 1st October onwards, instead of 1st November onwards, every year.

3. The different modes available to a pensioner for submission of Annual Life Certificate are once again summarized for Pensioners' awareness. An Annual Life Certificate can be submitted manually or digitally as per convenience of the pensioner by following modes: -

i. Life certificate can be recorded by Pension Disbursing Authorities (PDAs), if the pensioner physically appears before the PDA.

ii. Personal appearance of a pensioner will not be required, if the pensioner submits the life certificate form signed by any 'designated official'. In accordance with para 14.3 of the Scheme Booklet issued by CPAO, a pensioner who produces a life certificate in the prescribed form, signed by persons specified, is exempted from personal appearance. A list of designated officials specified for signing the Life Certificate as per the scheme booklet of CPAO is attached as **Annexure-I**.

iii. Pensioners can submit Life Certificate online through **Jeevan Pramaan Portal**. The process of submission of Digital Life Certificate through "Jeevan Pramaan" may be seen at https://youtu.be/nNMlkTYqTF8. UIDAI has provided details of all biometric devices which are permissible for capturing biometrics of a person. Pensioners may visit the site www.uidai.gov.in to get information of all such devices.

iv. **India Post Payments Bank** (IPPB) of Department of Posts along with Meity have successfully launched the initiative of the Department of Pension & Pensioners' Welfare: **"Doorstep Service for submission of Digital Life Certificate through Postman"** in November 2020. IPPB is utilizing its national network of more than 1,36,000 access points in Post Offices and more than 1,89,000 Postmen & Gramin Dak Sevaks with smart phones and biometric devices to provide Doorstep Banking Services for generation of Digital Life Certificates. For leveraging this facility through a mobile phone, a pensioner has to download **"Postinfo APP"** from Google Play store. The process of submission of Digital Life Certificate through Postmen/Gramin Dak Sevaks may be seen at https://youtu.be/cERwM_U7g54 .

v. **Doorstep Banking** is also available through the **Alliance comprising 12 Public Sector Banks which do "Doorstep Banking"** for its customers in 100 major cities of the country under Ease of Banking reforms. PSB Alliance has introduced the service for collection of Life Certificates under the umbrella of Doorstep Banking. DSB Agent shall visit the doorstep of Pensioner to render the service. Service can be booked by the pensioner through any of the 3 channels i.e. Mobile App, Website or Toll Free Number.

- Mobile App i.e **"Doorstep Banking (DSB)"** can be downloaded from Google Playstore.
- Pensioners can access through Web Browser i.e https://doorstepbanks.com/&https://dsb.imfast.co.in/doorstep/login
- Through Toll free Number:- 18001213721,18001037188.

vi. Pensioners can also submit Life Certificates using the **Face Authentication** technology system based on UIDAI Aadhaar software whereby it is possible to generate a Digital Life Certificate from any Android based smart phone by capturing the live photograph of the pensioner for online submission on the Jeevan Pramaan mobile application. The process flow for generating DLCs through Face Authentication is available on DoPPW's Pensioners' Portal → Jeevan Pramaan → Process flow of face authentication technique for DLC generation. (https://pensionersportal.gov.in/Document/Face%20Authentication%20Process%20of%20Jeevan%20Pramaan%20App%20.pdf).

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this OM for compliance and give wide publicity of the same amongst pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Ashok Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23310108

To

1. CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks and Pension Disbursing Authorities.
2. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
3. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
5. Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
6. Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
7. Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
8. Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi
9. All Chief Secretaries of States.
10. NIC: -for posting on website of this Department.
11. All Pensioners Associations under Pensioners' Portal: - for giving vide publicity among pensioners.

Annexure-I

List of persons specified for signing the Life Certificate (para 14.3 of Scheme Booklet by CPAO)

i. A person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure code;
ii. A Registrar or Sub-Registrar appointed under Indian Registration Act;
iii. A Gazetted officer of the Government;
iv. A Police Officer not below the rank of Sub-Inspector in–charge of a Police Station;
v. A Postmaster, a departmental Sub-Postmaster or an Inspector of Post Offices;
vi. A Class-I officer of the Reserve Bank of India, an officer (including Grade II officer) of the State Bank of India or of its subsidiary;
vii. A Justice of Peace;
viii. A Block Development Officer, Munsif, Tehsildar or Naib Tehsildar;
ix. A Head of Village Panchayat, Gram Panchayat, Gaon Panchayat or an
x. Executive Committee of a Village;
xi. A Member of Parliament, of State legislatures or of legislatures of Union Territory Governments/Administrations;
xii. Treasury Officer.

सं.1(3)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8371

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल, 'बी' विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
तारीख: 2 नवंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पेंशनभोगियों द्वारा अपनी पेंशन जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर मास (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर मास में अपना जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रावधान सम्मिलित है) में किया जाता है।

2. परंपरागत तरीके के अनुसार, पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाणपत्र भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण के पास स्वयं जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें बैंक शाखाओं में लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। इसे वृद्ध, बीमार और दुर्बल पेंशनभोगियों के लिए असुविधाजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण के अभिलेखों में अपने जीवन प्रमाणपत्र के अद्यतन से संबंधित स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

3. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' को सुनिश्चित करने के लिए, यह विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) को व्यापक रूप से बढ़ावा दे रहा है। प्रारंभ में, बायोमेट्रिक्स का प्रयोग करके डीएलसी प्रस्तुत करना शुरू किया गया था। तथापि, उम्र बढ़ने के कारण अंगुलियों के बायो-मेट्रिक्स कैप्चर न होने के कारण वृद्ध पेंशनभोगियों को डीएलसी के प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

4. अतः विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर यूआईडीएआई **आधार** डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक विकसित की, जिसके माध्यम से किसी भी एंडरोइड आधारित स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रसुविधा के अनुसार, फेस रिकग्निशन तकनीक से व्यक्ति की पहचान की जाती है। यूआईडीएआई सर्वर उसकी पहचान करता है और डीएलसी जनरेट हो जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई, इस सफल तकनीक ने वाहय बायो-मीट्रिक यंत्रों पर पेंशनभोगियों की निर्भरता को कम कर दिया है और

स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से संबंधित सामान्य प्रचालन प्रक्रिया संदर्भ के लिए संलग्न है।

5. डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के प्रयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उनके 'सुविधापूर्ण जीवन' के लिए नवंबर 2022 के पूरे मास के दौरान राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रहा है।

6. निम्नलिखित हितधारकों से अनुरोध है कि सेवा का लाभ उठाने और अधिक से अधिक पेंशनभोगियों तक पहुंच के लिए डीएलसी के राष्ट्रव्यापी अभियान को नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार चलाया जाए: -

(i) बैंकों की भूमिका:

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जिसका पद सहायक महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो।

- जागरूकता फैलाएं तथा डिजी-हट, एटीएम और शाखाओं में लगे बैनरों/पोस्टरों के माध्यम से डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उचित प्रचार करें।

- जहां डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है, यथासंभव, बैंककर्मी डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करें। यह तकनीक उपयोगी है क्योंकि इससे कागजी कार्रवाई करने की जरुरत नहीं रहती और भौतिक जीवन प्रमाण को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती।

- इसी तरह, जब पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए शाखा में जाते हैं, तो शाखाओं में समर्पित कर्मचारी के पास इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए एंड्रॉइड फोन होना चाहिए।

- बैंक शाखाओं द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि पेंशनभोगी बिना विलंब किए अपने डीएलसी जमा कर सकें।

- तथापि, जहां डीएलसी किसी भी कारण से कार्य नहीं करता है, किसी भी पेंशनभोगी को वापस नहीं भेजें और पारंपरिक तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करें।

(ii) मंत्रालयों/विभागों की भूमिका:

• सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो उप सचिव/निदेशक के पद से नीचे का न हो।

• अभियान के पूरे मास के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नामित व्यक्ति को एंड्रॉइड फोन प्रदान करके डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मंत्रालय/विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों और अधीनस्थ संगठनों में पहुंचने वाले सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

• बैनरों/सोशल मीडिया/व्हाट्सएप ग्रुपों/एसएमएस संदेशों/स्टाफ संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

• ऐसे अभियानों के ट्वीट पोस्ट करने के लिए तस्वीरें खींची जाएं।

• शय्याग्रस्त पेंशनभोगियों के अनुरोध के मामले में, किसी अधिकारी को डीएलसी प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।

• अभियान के बारे में सूचना देने वाले साप्ताहिक पीआईबी नोट प्रकाशित किए जाने चाहिए।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भूमिका:

• सभी सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों/अस्पतालों को डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक/बायोमेट्रिक का प्रयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपने परिसरों में शिविरों का आयोजन करने के लिए निदेश दिया जाए।

• शिविर में आने वाले पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को एंड्रॉइड फोन दिया जाए।

• प्रक्रिया के दौरान खींची गई तस्वीरों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को अग्रेषित करें।

(iv) पेंशनभोगी संघों की भूमिका:

• डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरे मास विशेष डीएलसी शिविरों का आयोजन किया जाए।

• पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी पेंशनभोगी संघों के सहयोग से 37 केंद्रों का दौरा करेंगे जहां बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रयोग करके उनके डीएलसी जारी करने की प्रसुविधा दी जाएगी।

• तस्वीरें खींची जाए और ट्विटर पर पोस्ट की जाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भी प्रेषित की जाएं।

(v) आईपीपीबी की भूमिका:

• वरिष्ठ स्तर के नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

• पेंशनभोगियों को उनके घर से डीएलसी प्रसुविधा देने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपनी पूर्व व्यवस्था के अनुसार, डाकघरों के गम्य स्थानों के अपने नेटवर्क तथा डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों का प्रयोग करे।

• तस्वीरें खींची जाए और ट्विटर पर पोस्ट की जाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भी प्रेषित की जाएं।

संलग्नक: यथोक्त।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23310108

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के सीएमडी/सीपीपीसी।
3. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
4. एनआईसी:- इस विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
5. पेंशनर्स पोर्टल के तहत सभी पेंशनभोगी संघ:- पेंशनभोगियों में व्यापक प्रचार के लिए।

सं. 1(3)/2022-P&PW(H)-8371
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Nation-wide Campaign for Submission of Digital Life Certificate – reg.

The undersigned is directed to say that submission of Life Certificate is an important activity to be carried out by pensioners every year in the month of November (with special provision for pensioners aged 80 years and above to submit their Life Certificates in the month of October) to ensure continuity of their pension.

2. In the traditional mode, pensioners had to present themselves before the Pension Disbursing Authority for physical submission of their Life Certificate which entailed waiting at the bank branches in queues for this purpose. This was found inconvenient for the old, ailing and infirm pensioners. Further, there was no mechanism for the pensioners to get a status regarding updation of their Life Certificates in the records of the Pension Disbursing Authority.

3. To enhance 'Ease of Living' of Central Government pensioners, this Department has been promoting Digital Life Certificate (DLC) i.e. Jeevan Pramaan extensively. Initially, submission of DLCs using biometrics was commenced. However, issues regarding authentication processes of DLCs were faced by older pensioners due to non-capturing of finger bio-metrics on account of aging.

4. This Department therefore engaged with MeitY to develop a face-recognition technology system based on UIDAI Aadhaar database whereby it is possible to submit Life Certificate from any Android based smart phone. As per this facility, the identity of a person is established through face recognition technique. The UIDAI server identifies the same and DLC gets generated. This breakthrough technology launched in November 2021 has reduced the dependence of pensioners on external bio-metric devices and has made the process more accessible and affordable to masses by leveraging smartphone-based technology.

The SOP regarding the DLC/Face Authentication technique is attached for *reference.*

5. With a view to spread awareness amongst all the Central Government pensioners as well as the Pension Disbursing Authorities for use of DLC/Face Authentication Technology to submit Digital Life Certificate, DoPPW is launching nation-wide campaign for whole month of November 2022 for their 'Ease of Living.'

6. The Nation-wide Campaign for DLC may be carried out as per guidelines mentioned below to reach out to the maximum number of pensioners to avail the service as a request to the following stake-holders:-

(i) Role of Banks:

- A nodal officer, not below the rank of Assistant General Manager, may be nominated for the Nation-wide DLC Campaign.
- Spread awareness, give due publicity to DLC/Face Authentication technique through banners/posters placed in digi-huts, ATMs and branches.
- Where Doorstep banking services are availed, the Bank Correspondent should use DLC/Face Authentication technique as far as possible. This technique is beneficial since it avoids paper work and does away with the need to verify physical LCs.
- Similarly, dedicated staff at branches should be equipped with an Android phone to use this technology when pensioners visit the branch for submission of Life Certificate.
- Camps should be held by bank branches to enable pensioners to submit their DLCs without delay.
- **However, where DLC does not work due to any reason no Pensioner shall be returned and traditional manual LC can be submitted**.

(ii) Role of Ministries/Departments:

- A nodal officer, not below the rank of DS/Dir, may be nominated by all Ministries/Departments.

- Provision should be made for generating Digital Life Certificates using DLC/Face Authentication technique by providing an Android phone to the designated person at every field office for the entire month of the campaign. DLC should be issued for all Central Government pensioners visiting the Ministry/Department, field offices, and subordinate organizations.
- Wide publicity should be given to this campaign by spreading awareness through banners/social media/whatsapp groups/SMS Messages/through staff unions.
- Photographs to be taken for posting of tweets of such campaigns.
- In case of request from bed ridden pensioners, an officer shall be deputed for DLC submission.
- Weekly PIB notes giving information about the campaign should be published.

(iii) Role of Ministry of Health& Family Welfare:

- All CGHS Wellness centers/Dispensaries/Hospitals may be directed to set up camps in their premises for submission of Digital Life Certificates using DLC/Face Authentication technique/biometric.
- A dedicated person should be equipped with an Android phone for issue of Digital Life Certificate of the pensioners visiting the camp.
- Pictures taken during the process are to be forwarded to DoPPW.

(iv) Role of Pensioners' Associations:

- Special DLC camps should be organized through the month using DLC/Face Authentication technique
- DoPPW officials, in collaboration with Pensioners' Associations, will visit 37 centers where a large number of pensioners can be facilitated in issuance of their DLCs using DLC/Face Authentication technology.
- Pictures areto be taken and posted on twitter and also sent to DoPPW.

(v) **Role of IPPB:**

- A nodal officer may be nominated at a senior level.
- India Post Payments Bank (IPPB) to utilize its network of access points in Post Offices and Postmen & Gramin Dak Sevaks to provide doorstep DLC facility to pensioners as per their earlier arrangement.
- Pictures are to be taken and posted on twitter and also sent to DoPPW.

Encl: As Above.

अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

1. All Ministries/Departments to Government of India.
2. CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks and Pension Disbursing Authorities.
3. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
4. NIC: -for posting on website of this Department.
5. All Pensioners Associations under Pensioners' Portal: - for giving vide publicity among pensioners.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

One of the best practices in digital innovation launched by Department of Pension & Pensioners' Welfare.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

DOPPW in collaboration with UIDAI & MIETY has launched Face Authentication technology for submission of Digital Life Certificate for enhancing "Ease of Living" of 70 lakhs Central Govt. Pensioners'.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

DLC through Face Authentication Technology is based on Aadhaar using Android based smartphone.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

Process of submitting Life Certificate through "FACE AUTHENTICATION"

STEP-1

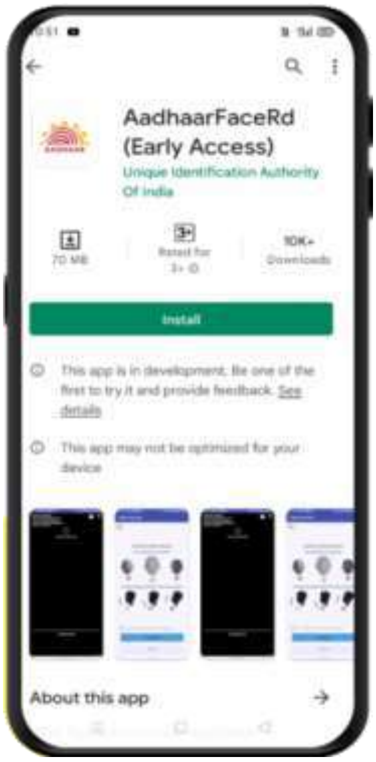

In this step, the pensioner/family pensioner needs to go to the Google Play Store and search for "Aadhaar Face RD (Early Access) Application" by UIDAI (Unique Identification Authority of India) with latest Version (presently 0.7.43).

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

STEP-2

After successfully installing the Aadhaar Face RD App on the device, it will appear in the Settings under App Manager or App Info. This application is used for the background process of the Jeevan Pramaan Application, so it is mandatory to install it.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-3

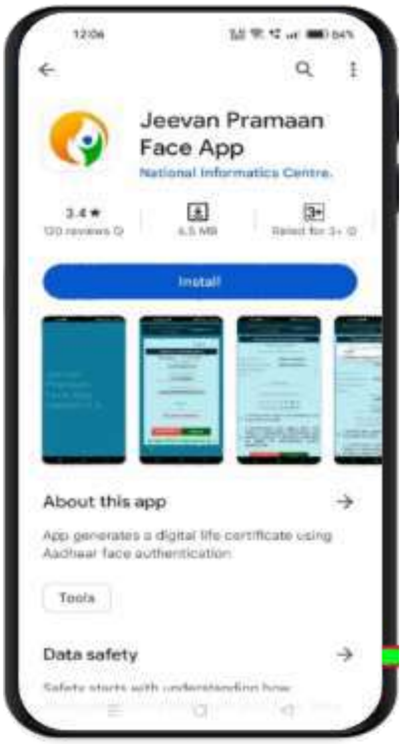

Once the Aadhaar Face RD App is installed on your smartphone/Android device, the pensioner/family pensioner needs to download another application called "Jeevan Pramaan" from the Google Play Store with Version 3.6.3.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

STEP-4

After successfully installing both applications, the pensioner/family pensioner should open the "Jeevan Pramaan" application. They will be taken to the "Operator Authentication" screen where they have to provide their personal details as follows:

1. Click on the Aadhaar checkbox.
2. Enter the Aadhaar Number.
3. Enter the Mobile Number.
4. Enter the Email Address.
5. Click on the Submit Button.

*Please ensure that all the information provided by pensioners/family pensioners/members of family pensioners is correct as per the records.

*All the sections marked with an asterisk (*) are mandatory to fill.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-5

After providing all the information, the pensioner/ family pensioner needs to submit the OTP (One Time Password) sent to their respective mobile number and email address.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-6

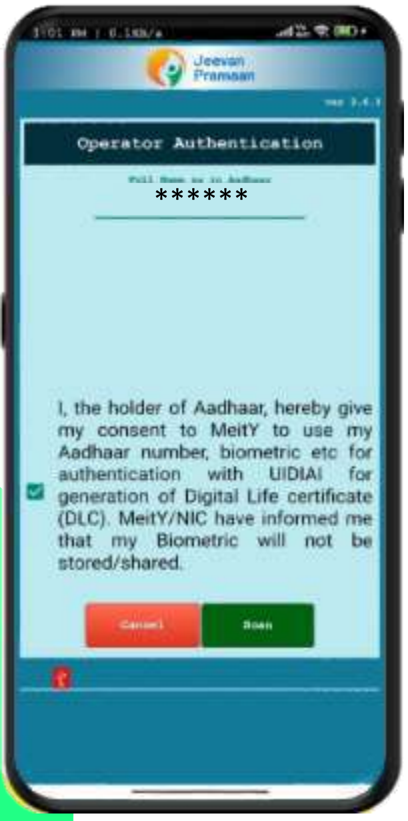

After submitting the OTP, the Jeevan Pramaan App will take the pensioner/family pensioner to a screen where they have to provide their "Name" as per the records. They should click on the checkbox and then click on Scan. The app will request permission for Face Scan, and the pensioner/family pensioner should press "Yes" to continue the process.

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

STEP-7

Before the scan, the app will display instructions and guidelines for the face scan. The pensioner/family pensioner should read them carefully. Afterward, they need to click on the "I am aware of this" checkbox to continue and press proceed. The app will capture their face.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

STEP-8

Note:-

1. The operator authentication is a one time process.
2. Pensioner can also be the Operator.
3. After operator authentication, a screen will open for pensioner authentication.
4. One operator can generate multiples DLCs of Pensioners.

Government of India

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

AADHAAR

Digital India
Power To Empower

STEP-9

After successfully completing the face scan, the pensioner/family pensioner will be taken to the "Pensioner Authentication" screen. They or any family member will need to fill in the correct information as per the records. After filling in all the necessary details, they should click on the submit button, and it will generate the "DIGITAL LIFE CERTIFICATE."

Government of India
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

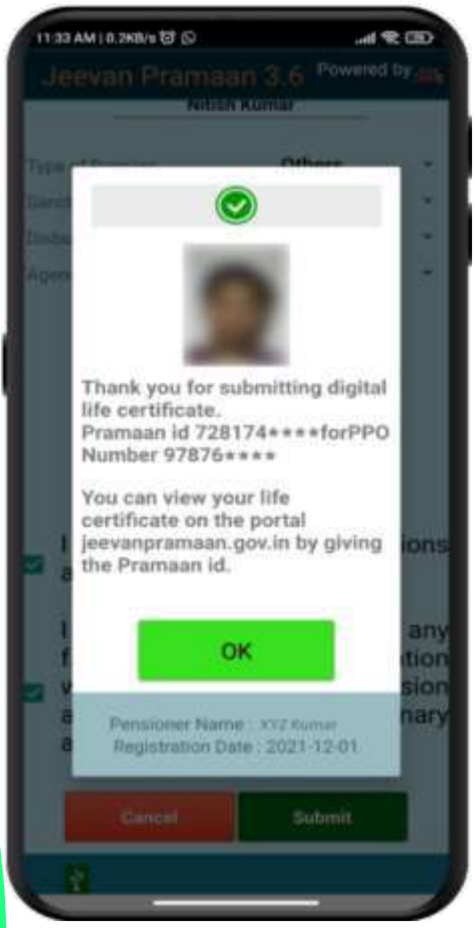

After face scanning DLC submission appears on the mobile screen along with the Pramaan ID and PPO no.

*For queries mail us at dlc.doppw@gov.in
*Follow us Facebook and Twitter

@facebook.com/DoPPW.India

@twitter.com/DOPPW_India

*DLC documentary- https://youtu.be/nNMlkTYqTF8

सं. 3/13/2022-पी&पीडबल्यू(एफ़) (8353)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 02.11.2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:-वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अनुदेश से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं), नियमावली, 1960 के अनुसार, किसी अंशदाता की बाबत सामान्य भविष्य निधि की अंशदान की राशि, परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगी और अंशदाता की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी। सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 और 10 को दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किया गया था। दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के अंतर्गत किसी अंशदाता द्वारा किए गए मासिक अंशदान की राशि, उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की राशि सहित, आकार नियम, 1962 के नियम 9घ के उपनियम(2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड(ग) के उपखंड(i) में संदर्भित सीमा(वर्तमान में पांच लाख रुपये) से अधिक नहीं होगी [वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.604(ङ) द्वारा यथाअंतर्स्थापित)] ।

2. इसके अतिरिक्त, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं), नियमावली, 1960 के उपरोक्त संशोधित उपबंधों की सख्ती से कार्यान्वयन हेतु इस विभाग के दिनांक 11.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/6/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ) द्वारा निर्देश जारी किए गए।

3. इस विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सलाह मांगी गई है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में जीपीएफ अंशदान को कैसे विनियमित किया जाए, जिन मामलों में चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23) में जीपीएफ का कुल अंशदान पहले ही पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक हो गया है या सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं), नियमावली, 1960 के

जारी....

अधीन निर्धारित परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम अंशदान के साथ इस सीमा से अधिक होने की संभावना है।

4. अधिकतम वार्षिक जीपीएफ अंशदान को सीमित करने वाली संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.06.2022 को जारी की गई थी। यदि उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद उचित कदम उठाए गए होते तो चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक कुल अंशदान पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तथापि, मंत्रालयों/विभागों के समक्ष पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले की जांच की गई है और इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनका चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23) के दौरान जीपीएफ अंशदान पहले ही 5 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो गया है, चालू वित्तीय वर्ष में उनके वेतन से जीपीएफ अंशदान की कोई और कटौती नहीं की जाए। ऐसे मामलों में, परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम मासिक अंशदान के उपबंध को शिथिल माना जाए।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिनका जीपीएफ अंशदान चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23) के दौरान अभी तक 5 लाख रुपये की सीमा तक नहीं पहुंचा है/उससे अधिक नहीं हुआ है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ अंशदान के लिए अतिरिक्त कटौती को इस तरह से किया जाए कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल अंशदान 5 लाख रुपये से अधिक न हो। ऐसे मामलों में जहां परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम मासिक अंशदान के साथ कुल अंशदान 5 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है, चालू वित्तीय वर्ष में कुल अंशदान के 5 लाख रुपये तक पहुंचते ही वेतन से जीपीएफ अंशदान की कटौती बंद कर दी जाए। ऐसे मामलों में भी, परिलब्धियों के 6% के न्यूनतम मासिक अंशदान के उपबंध को शिथिल माना जाए।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इनका सख्ती से अनुपालन करने हेतु उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

F. No. 3/13/2022-P&PW(F) (8353)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
dated: 02.11.2022

Office Memorandum

Subject:- Ceiling of Rs. 5 Lakh on subscription to General Provident Fund (Central Services) in a financial year- instructions regarding.

The undersigned is directed to say that in accordance with the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960, the amount of subscription to the GPF in respect of a subscriber, shall not be less than 6% of the emoluments and not more than total emoluments of the subscriber. Rules 7, 8 & 10 of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 were amended vide Notification No. G.S.R. 96 dated 15.06.2022. As per the said Notification dated 15.06.2022, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit (at present Rupees Five Lakh) referred to in sub clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub rule (2) of the rule 9D of the Income Tax Rules, 1962 [as inserted vide Notification No. G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021 of Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)].

2. Further, instructions have been issued vide this Department's OM No 3/6/2021-P&PW (F) dated 11.10.2022 for strict implementation of the above amended provisions of the General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

3. References have been received in this Department seeking advice as to how the GPF subscription is to be regulated in the case of those Government servants in which cases the total subscription of GPF in the current financial year (i.e 2022-23) has already exceeded the limit of Rupees Five Lakh or is likely to exceed this limit even with the minimum subscription of 6% of emoluments prescribed under General Provident Fund (Central Services), Rules, 1960.

4. The amendment Notification limiting the maximum annual GPF subscription was issued on 15.06.2022. A situation of annual total subscription exceeding the limit of Rupees Five Lakh in the current financial year would not have arisen if appropriate steps were taken immediately after the issue of the above amendment notification. However, keeping in view the difficulties being faced by the Ministries/Departments, the matter has been examined and the following further instructions are issued in this regard:

(a) In the case of those Government servants, whose GPF subscription during the current financial year (i.e. 2022-23) has already exceeded the threshold limit of Rs. 5 lakhs, no further deduction of GPF subscription may be made from their salary in the current financial year. In those cases, the provision regarding minimum monthly subscription of 6% of the emoluments shall be deemed to have been relaxed.

(b) In the case of those Government servants, whose GPF subscription during the current financial year (i.e. 2022-23) has not yet reached/exceeded the threshold limit of Rs. 5 lakh, further deductions towards GPF subscriptions during the current financial year may be phased out in such a manner that the total subscription during the current financial year does not exceed Rs. 5 lakh. In cases where the total contribution is likely to exceed Rs. 5 lakh even with minimum monthly subscription of 6% of the emoluments, deduction of GPF subscription from the salary may be stopped as soon as the total contribution in the current financial year reaches Rs. 5 lakh. In such cases also, the provision regarding minimum monthly subscription of 6% of the emoluments shall be deemed to have been relaxed.

5. All Ministries/Departments are requested to bring the above instructions to the notice of the all concerned for strict compliance.

(Vishal Kumar)
Under Secretary to the Govt of India

All Ministries/Departments/Organisations
(as per standard list)

सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक: 03 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ई.सी.बी. एंड पी.आर. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को लागू करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा(सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों पर नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारी, अनिवार्य रूप से उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और अन्य संबंधित नियमों को भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था और उक्त संशोधनों के बाद, ये नियम दिनांक 31.12.2003 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

2. तत्पश्चात्, विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग तथा विधि कार्य विभाग के साथ परामर्श करके, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के का.ज्ञा. सं.57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा निर्देश जारी किए जिनके द्वारा ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया था, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया। दिनांक 17.02.2020 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए नियत समय-सारणी थी।

3. इस विभाग में, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना से पूर्व, भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष हुई थी, जिनमें विभिन्न ऐसे माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, जिनके द्वारा आवेदकों को ऐसे लाभों की अनुज्ञा दी गई थी।

पृष्ठ 1/3

4. इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में वित्तीय सेवाएं विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और विधि कार्य विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व**, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए **एक बार का विकल्प** दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक **31.08.2023 तक कर सकते हैं।**

5. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परंतु निर्धारित तारीख तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, अंतिम होगा।

7 सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर करने से संबंधित मामले को, इन निर्देशों के अनुसार उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में **आवश्यक आदेश अधिकतम 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा।** फलस्वरूप, ऐसे सरकारी सेवकों का एनपीएस खाता दिनांक **31 दिसंबर, 2023** से बंद कर दिया जाएगा।

8. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ़) की सदस्यता लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में कॉर्पस के लेखाकरण के संबंध में, लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) ने दिनांक 14.11.2019 के पत्र सं 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 तथा दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-III/सी.एस.-4308/450 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया हैं:

i. **खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन:** रकम को व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) खाते में जमा किया जाए और आज की तारीख तक के ब्याज को अनुज्ञात करते हुए, खाते का पुनःनिर्धारण किया जाए (प्राधिकार एफ़.आर.-16 और सामान्य भविष्य निधि(जी.पी.एफ़.) नियमावली का नियम 11)।

पृष्ठ 2/3

ii. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन :** वस्तु शीर्ष 70 - मुख्य शीर्ष 2071 के तहत कटौती वसूली - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - लघुशीर्ष 911- अधिक भुगतान की कटौती वसूली में (-) डेबिट के रूप में लेखे हेतु लिया जाए (जी.ए.आर. 35 तथा लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची का पैरा 3.10)

iii. **निवेशों के अधिमूल्यन के कारण अभिदान के वर्धित मूल्य का समायोजन :** मुख्य शीर्ष 0071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए अंशदान 800 - अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रकम को सरकारी खाते में जमा करके लेखाबद्ध किया जाएगा (एल.एम.एम.एच.ए. में उपर्युक्त शीर्ष के तहत टिप्पणी)।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों का अनिवार्य रूप से व्यापक प्रचार करें। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी, जो इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, के मामलों का, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन आदेशों के अनुसार निपटान किया जाए।

10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 05.12.2022 और 07.02.2023 के आई.डी. नोट सं.1(7) EV/2019 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) के दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-III/सी.एस.-4308/450 के परामर्श से जारी किया जाता है।

11. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन, यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

एस. एन. माथुर

(संजीव नारायण माथुर)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, सूचनार्थ
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
7. एन.आई.सी. को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।

No. 57/05/2021-P&PW(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the 03rd March , 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.

3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.

4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, **prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003** and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a **one-time option** to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants **latest by 31.08.2023**.

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, **necessary order in this regard shall be issued latest by 31st October, 2023**. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. **31st December, 2023.**

8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding accountal of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:

i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts**: Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 &Rule 11 of GPF Rules).
ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts**: To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).

iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** – May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800-Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA).

9. ***All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail***. The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.

11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12. Hindi version will follow.

03.03.2023

(Sanjiv Narain Mathur)
Additional Secretary to Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.

सं. 42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

8वां तल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 06 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - दिनांक 01.01.2023 से संशोधित दर लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, दिनांक 01.01.2023 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के 38% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-I। द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं. 23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को अभिशासित करने वाले अन्य उपबंध, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा. 45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी) में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे। जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायाधीशों के मामले में, न्याय विभाग द्वारा अलग से आवश्यक आदेश, जारी किए जाएंगे।

6. प्रत्येक पृथक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों का होगा।

7. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए. II/34 - 80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए 64 (ii) (सीजीएल)/ 81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. यह वित मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 03.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1/2023-ई.II (बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(राजेंद्र कुमार दत्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ

No. 42/04/2023-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

8th Floor, B-Wing, Janpath Bhavan,
Janpath, New Delhi - 110001
Date:- 06th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2023.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/07/2022-P&PW(D) dated 08.10.2022 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **38% to 42%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01.01.2023**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

Contd.....

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2023-E.II(B) dated 03.04.2023.

Hindi version will follow.

(Rajendra Kumar Dutta)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

फा. सं.38/41/19-पी&पीडब्ल्यू(ए) [6018]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 10.04.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 में दिनांक 07.10.2022 की अधिसूचना सं. जीएसआर 770(अ) द्वारा संशोधन किया गया है।

2. पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (जिसे निरस्त कर दिया गया है) के नियम 9 के अनुसार, राष्ट्रपति के पास, सभी मामलों में, किसी पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने की शक्ति थी, जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है।

3. संशोधित नियम 8, जिसे दिनांक 07.10.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया, के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी केवल उस पेंशनभोगी की बाबत पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने के लिए अपेक्षित होगी जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है और, अन्य मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने के लिए सक्षम होगा, यदि पेंशनभोगी अपने सेवाकाल में किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है। इसी प्रकार, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी के मामले में पेंशन या उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने का आदेश देने के लिए सक्षम होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना भी अपेक्षित नहीं होगा।

4. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं, किंतु केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तत्कालीन नियम 8 [या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9] के अनुसार, कतिपय परिस्थितियों में, राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त किए गए थे, जैसे:

(क) विभागीय कार्यवाहियों के समापन के पश्चात् पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के लिए, ऐसे मामलों में, जहां विभागीय कार्यवाहियां सेवानिवृत्ति से पूर्व संस्थित की गई थीं और नियम 8 के अधीन की गई कार्यवाहियां समझी गई, या

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए मंजूरी जारी करने और उस प्राधिकारी की बाबत निर्देश देने के लिए जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है, ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई, आदि।

5. किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी के लिए विभागीय कार्यवाहियों में अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा, यदि कार्यवाहियों के दौरान किसी भी स्तर पर किन्हीं आदेशों के लिए मामला राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो। अतः, ऐसे मामलों में, पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति की मंजूरी से लिया जाना अपेक्षित है और ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

6. तथापि, ऐसे मामलों में जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गई थी और कार्यवाहियों को नियम 8 [या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9] के अधीन की गई कार्यवाही समझा गया, किंतु पेंशन/उपदान को रोकने/प्रत्याहृत करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय के लिए, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए रिपोर्ट तब तक राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की गई हो, तो ऐसे मामलों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा और तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं होगा। ऐसे मामलों में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के संशोधित नियम 8 के अनुसार, यथास्थिति, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव अथवा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अंतिम निर्णय दे सकेगा।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें इन मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

र. सेठी

(आर.सी. सेठी)
भारत सरकार के उप सचिव
फ़ोन: 24635979

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/41/19-P&PW(A) [6018]
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 10.04.2023

Office Memorandum

Subject: Amendment of Rule 8 of CCS (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021 has been amended vide Notification No. GSR 770(E) dated 07.10.2022.

2. As per earlier Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021 as well as rule 9 of the CCS (Pension) Rules, 1972 (since repealed), the President had the power, in all cases, to withhold/withdraw a pension/gratuity, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner was found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement.

2. As per the amended Rule 8 as amended vide Notification dated 07.10.2022, approval of President shall be required only for ordering withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from a post for which President is the appointing authority and, in other cases, Secretary of the Administrative Ministry or Department shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity, if the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service in any departmental or judicial proceedings. Similarly, the Comptroller and Auditor-General of India shall be competent to order withholding/withdrawing pension or gratuity in the case of a pensioner who retired from the Indian Audit and Accounts Department, for which an authority subordinate to the President is the appointing authority. Consultation with UPSC will also not be necessary in cases where the President is not the appointing authority

3. There may be cases where President is not the appointing authority but, in accordance with the then existing Rule 8 of CCS(Pension) Rules, 2021 [or Rule 9 of CCS(Pension) Rules, 1972], orders of President were obtained in certain circumstances, such as:

(a) for withholding/withdrawal of pension/gratuity after conclusion of the departmental proceedings, in cases where departmental proceedings were instituted before retirement and were deemed to be proceedings under Rule 8, or

(b) for issue of sanction for institution of departmental proceedings after retirement and for direction in regard to the authority by which the departmental proceedings are to be conducted, in cases where departmental proceedings were instituted after retirement, etc.

4. It may not be appropriate for any subordinate authority to take a final decision in the departmental proceedings, if the case has been submitted to the President at any stage for any orders during the proceedings. Therefore, in such cases, final decision on the question of withholding/withdrawal of pension/gratuity is required to be taken with the approval of President and consultation with the UPSC would also be necessary in such cases.

5. However, in cases where the departmental proceedings were instituted before retirement of a Government servant by a subordinate authority and the proceedings were deemed to be proceedings under Rule 8 [or Rule 9 of CCS(Pension) Rules, 1972], but the report recording its findings has not been submitted by the subordinate authority to the President so far for final decision on the question of withholding/withdrawal of pension/gratuity, such cases shall not be required to be submitted to President and, accordingly, consultation with UPSC will also not be necessary. Final decision in such cases may be taken by the Secretary of the Administrative Ministry or Department or CAG, as the case may be, in accordance with the amended Rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 2021.

5. All Ministries/Departments are requested that the above amended provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the issue for strict implementation.

(R.C. Sethi)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 24635979

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिनांक 22.12.2003 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात 22.12.2003 से पूर्व भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पद या रिक्ति के सापेक्ष हुई थी, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर करने के लिए एकबार का विकल्प प्रदान किया गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में विकल्प के प्रयोग, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और संबंधित सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करने की प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए कट-ऑफ तारीखें दी गई हैं।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि इस विभाग को मासिक आधार पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

माह के लिए रिपोर्ट	
मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम	
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन समावेशन करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या	
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अधीन सम्मिलित किए गए कर्मचारियों की संख्या (आज की तारीख तक)	
निर्णय करने के लिए लंबित आवेदनों की संख्या	
केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन अब तक कवर किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा	

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

संयुक्त सचिव(प्रशासन)
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(ईमेल के माध्यम से)

No. 57/05/2021-P&PW(B)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

Subject: Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.

The undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners' Welfare's O.M of even No. dated 03.03.2023 providing one-time option to Government servants for coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in place of National Pension System who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003.

2. The said Office Memorandum provides for cut off dates for various activities involved in the process of exercising of option, deciding representations by appointing authorities and closure of NPS accounts of the concerned Government servants.

3. In view of the above, it is requested to furnish following information to this Department on monthly basis, as under:

Report for the Month of	
Name of Ministry/ Department/ Organization	
Number of employees exercised option for inclusion under CCS(Pension) Rules, 1972 in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023	
Number of employees who have been included under CCS(Pension) Rules in terms of DoPPW OM dated 03.03.2023 (as on date)	
Number of applications pending for decision	
Details of employees covered under CCS(Pension) Rules, 1972 so far	

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

Joint Secretary (Administration),
All Central Govt. Ministries / Departments.
(through email)

सं. 57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)/7138

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा. के अनुसरण में एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा.सं. 1(24)/ईवी/2016 के संदर्भ में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.06.2021 के समसंख्यक अ.शा. पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में नियमित रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

2. उपरोक्त का.ज्ञा. में यह भी निदेशित किया गया है कि प्रत्येक छमाही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक स्थिति रिपोर्ट भेजी जाए, जिसमें उपरोक्त निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम की जानकारी इस टिप्पणी के साथ दी जाए, कि क्या एनपीएस अंशदान समय पर जमा किए जा रहे हैं और किसी भी चूक के मामले में की गई कार्रवाई के ब्यौरे दिए जाएं।

3. तदनुसार, व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने मंत्रालय/विभाग में उपरोक्त एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थिति और अब तक की गई निगरानी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.06.2021 के अ.शा. पत्र के साथ संलग्न विहित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

4. तथापि, इस बाबत बहुत कम मंत्रालयों/विभागों से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसे मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिन्होनें दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, संलग्न है।

5. अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उपरोक्त रिपोर्ट **संशोधित प्रारूप**(संलग्न) में इस विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए और भविष्य में भी नियमित रूप से भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक

सचिव,
केंद्रीय सरकार मंत्रालय/विभाग
मेल द्वारा

सं – **57/02/2021-P&PW(B) /7138**
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

Subject:- **Setting up of NPS oversight mechanism in pursuance to Department of Expenditure OM dated 02.07.2019- reg.**

Undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners' Welfare D.O. letter of even number dated 07.06.2021 (copy enclosed) in reference to Department of Expenditure's OM No. 1(24)/EV/2016, dated 02.07.2019 vide which instructions have been issued for setting up of NPS oversight mechanism in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under the National Pension System.

2. It has also been directed in the aforesaid OM that a status report may be sent to the Department of Pension and Pensioners' Welfare every six months intimating the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the NPS contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

3. Accordingly, it was requested all Ministries / Departments were to furnish status of the aforesaid NPS oversight mechanism in their Ministry/Department and the monitoring done so far, in a prescribed format attached with D.O. letter dated 07.06.2021 to Department of Pension and Pensioners' Welfare in accordance with the instructions issued by Department of Expenditure.

4. However, status reports have been received from a very few Ministries / Departments in this regard. A list of Ministries / Departments who have submitted six monthly report for the period ending 31.03.2023 is also attached

5. It is therefore, requested that the aforesaid report may be sent to this Department in the **revised format** (Enclosed) at the earliest and also regularly in future in order to safeguard the interest of Central Government employees covered under National Pension System.

Encl. as above.

Pramod Kaushik

(Dr. Pramod Kumar)
Director

Secretary,
Central Government Ministries / Departments.
Through email

Annexure

List of Ministries/ Departments submitted Six monthly status report for the period ending on 31.03.2023

1. Ministry of Steel,
2. Ministry of Home Affairs,
3. Department of Personnel and Training,
4. Department of Biotechnology,
5. Ministry of Information and Broadcasting,
6. Ministry of Power,
7. Ministry of Tribal Affairs,
8. Ministry of Labour and Employment
9. Ministry of Development of North Eastern Region
10. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
11. Ministry of Earth Sciences
12. Department of Space,
13. Ministry of External Affairs

इन्दीवर पान्डेय, आई. ए. एस.
सचिव
Indevar Pandey, IAS
Secretary
Tel.: 011-23742133
Fax 011-23742546
Email : secy-arpg@nic.in

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS,
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE
LOK NAYAK BHAWAN, KHAN MARKET
NEW DELHI-110003

No. 57/02/2021-P&PW(B) 07-06-2021

Dear Colleagues,

Please refer to the Department of Expenditure's OM No. 1(24)/EV/ 2016, dated 02.07.2019, (copy enclosed) vide which instructions have been issued for setting up of National Pension Scheme (NPS) oversight mechanism chaired by Financial Advisor in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under the National Pension System. The above instructions have been issued in implementation of a committee constituted for suggesting measures for streamlining implementation of NPS.

2. It has also been directed in the aforesaid OM that a status report may be sent to the Department of Pension and Pensioners' Welfare every six months intimating the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the NPS contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

3. I would be grateful, if the status of the aforesaid NPS oversight mechanism in your Ministry/Department and the monitoring done so far, is furnished in enclosed format to this Department in accordance ~~with the ins~~tructions issued by Department of Expenditure.

With Regards

Yours sincerely,

7/6/2021

(Indevar Pandey)

Encl. as above

Secretaries of All Ministries/Departments

सूचना का अधिकार

No.1(24)/EV/2016
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 2nd July, 2019

Office Memorandum

Subject: Setting up of NPS oversight mechanism.

The undersigned is directed to say that the Committee, as set-up by Department of Financial Services in terms of their OM No. 1/3/2016-PR dt. 21.10.2016 under the Chairmanship of Secretary (Pension) and comprising Secretary, Department of Financial Services and Secretary (Department of Personnel and Training), had submitted its report on 28.2.2018, containing its recommendations for streamlining implementation of the National Pension System (NPS).

2. One of the recommendations contained in para 8.7.1 of its report relating to grievance redressal is as under:-

"Three-tiered NPS oversight mechanism of the DDO/Head of Office, Joint Secretary (Admin)/Chief Controller of Accounts and the Financial Advisor set up vide Department of Expenditure's OM No.1(2)/EV/2008, dated 03.02.209 may be strengthened/streamlined to monitor grievances as well as timely registration and credit of contributions to subscribes' accounts. Fresh instructions to this effect and for strict compliance of instructions may be issued by Department of Expenditure."

3. In the OM of this Department No. 1(2)/EV/2008 dated 3.2.2009, it was provided, inter-alia, that Ministries/Departments may constitute a Committee headed by JS (Admn) and Principal CCA/CCA to monitor registration/regular upload of data and transfer of NPS contributions in respect of Central Government employees to ensure that no delay therein occurs. Subsequently, in terms of instructions of this Department vide OM No. 1(5)/EV/2011 dated 10.7.2011 the Committee was broad-based to include the concerned Financial Advisors and the said instructions dt. 10.7.011 also provided, inter-alia, that the implementation of NPS, with its various attendant parameters, in each Central Ministry/Department, shall be a "key performance area" of the Financial Advisors.

4. The Department of Pension and Pensioners' Welfare, which is the nodal Department in respect of pension related matters of Central Government employees, is separately in the process of framing statutory rules to regulate the matters of National Pension System in case of Central Government employees. These Rules would also cover the issue relating to timely credit of contributions of Central Government employees and the Central Government, as deducted from the salaries of the concerned Government employee, to NPS architecture.

5. However, since timely credit of deduction made from the salary of Central Government employees towards their contribution to NPS, as also the applicable contribution of the Central Government, to the NPS financial architecture is of paramount importance for availability of due and timely returns thereon towards generation of pension corpus, it has been decided that a Committee in each Ministry/Department shall be constituted as under to ensure oversight over the NPS contributions crediting:-

(i) Financial Advisor - Head of the Committee
(ii) Joint Secretary (Administration)
(iii) Principal CCA/CCA
(iv) The concerned Head of the office
(v) The concerned DDO

6. The Committee shall be responsible for the following actions:-

(i) Ensuring that the contribution of employees and the Government are credited without delay to the NPS financial architecture both in case of existing employees and employees newly recruited from time to time and the existing system and procedure being followed for the purpose shall be monitored effectively to ensure that no delay in credit of the contributions takes place.

(ii) Ensuring that in case any grievance by any employee is received in regard to delay in credit of contribution, either directly from the employee or through PFRDA, the same has been looked into and disposed of in a manner to the satisfaction of the concerned employee.

(iii) Any other matter as having a bearing on the issue of crediting/remittance of NPS contributions.

(iv) The Committee shall devise its own mechanism as also appropriate checks & balances to ensure that NPS contributions are credited on time in respect of all employees under NPS system.

(v) The Committee shall meet at least once in 3 months to review the progress and in case any slippages are noticed, it shall take immediate corrective action. However, the concerned Principal CCA/ CCA shall keep a watch over the progress on a regular basis.

7. While the above Committee shall be set-up in each Ministry/Department, appropriate mechanism for keeping a watch in respect of attached and subordinate offices under that Ministry/Department shall be put in place by the concerned Financial Advisor, so that the overall oversight in respect of the entire Ministry/Department as a whole is exercised by the Committee as mentioned in para 5 above.

8. The concerned Financial Advisor shall send a status report every six month to the Department of Pension and Pensioners' Welfare about the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the NPS contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

(Amar Nath Singh)
Director

To,

(i) All Ministries/Departments of the Government of India (As per Standard List)
(ii) All Secretaries to the Government of India
(iii) All Financial Advisors
(iv) Controller General of Defence Accounts
(v) Financial Commissioner in case of Railway Accounts
(vi) Secretary, Department of Posts, and Secretary, Department of Telecommunications. in case of P&T Accounts
(vii) Controller General of Accounts

Government of India
Ministry / Department of ....

National Pension System Oversight Mechanism
Six monthly Report

For the period i) 1st April .... to 30th September ....
ii) 1st October .... to 31st March..................

1. Details of meetings conducted during the six monthly period:

Number of meetings conducted	Dates of meetings. (Minutes to be attached)

2. Status of Registration, PRAN generation and First contribution:

Sl. No.	Months	No. of employees joined during the month	No. of employees whose PRAN generated within time (20 days)	No. of employees whose PRAN not yet generated	No. of employees whose first contribution started within time	Reasons for delay, if any.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Total						

3. Details of remittance of monthly contribution:

Sl. No	Month	Total No. of employees under NPS during the month	No. of employees whose contribution remitted to CRA/ Bank at the end of month	No. of employees whose contribution was not remitted on time	No of Mis-matched SCFs	Reasons for delay, if any
1						
2						
3						
4						
5						
6						

4. Status of Processing of Withdrawal request on exit from NPS:

Months	No. of employees retired during the month	No. of employees whose withdrawal process started within prescribed time	No. of employees who received lump sum benefits	No. of employees whose Annuity started	No of employees whose withdrawal case is pending after retirement	Reasons for delay, if any.

5. Status of Grievance redressal of employees covered under NPS:

No. of grievances pending from last six monthly period	No. of grievances received during six monthly period	No. of grievances disposed during this period	No. of grievances pending for less than 1 month	No. of grievances pending for 1 to 3 months	No. of grievances pending of more than 3 months

6. Status of other PRAN related issues:

Total No. of employees covered under NPS in the Department	No. of employees whose PRAN has been generated	No. of PRAN which are not IRA compliant	No. of employees whose nomination available for NPS benefits	No. of employees whose contact details viz mobile no. and email are updated in PRAN

7. Remarks, if any.

सं.42/04/2023-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 06 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि(सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2023 से पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में महंगाई राहत की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 31.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/07/2022-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की श्रृंखला में मूल अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत दिनांक **01.01.2023** से निम्नलिखित रीति से बढ़ाई जाएगी :-

(□) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 तथा 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, और दिनांक 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा समूह क, ख, ग तथा घ के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000रू, 1000रू, 750रू और 650रू के हक़दार हैं, अब **01.01.2023** से मूल अनुग्रह राशि के **396**% से मूल अनुग्रह राशि के **412%** संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(ii) सीपीएफ लाभार्थी के निम्नलिखित श्रेणी **01.01.2023** से मूल अनुग्रह राशि के **388**% से मूल अनुग्रह राशि के **404**% से संवर्धित महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे।

(क) दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए दिवंगत सीपीएफ लाभार्थी या 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र आश्रित संतानें, 27 जून, 2013 के का.ज्ञा. सं.1/10/2012-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से 645/- रूपये प्रतिमास की दर पर संशोधित अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं।

जारी/......

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ सहित सेवानिवृत्त हुए थे, और जिन्हें 654/- रूपये, 659/- रूपये, 703/- रूपये और 965/- रूपये की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में जहां रुपये का कोई भाग हो, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

3. प्रत्येक वैयक्तिक मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा का परिकलन करने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों का होगा।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12 जून, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/3(2)/2008-ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

डी.पी. सिंह

(डी.पी. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(मानक वितरण सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि(मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
5. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/04/2023-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Dated:- 06th July, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Grant of Dearness Relief in the 5th CPC series effective from 01.01.2023 to CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM 42/07/2022-P&PW(D) dated 31.10.2022 and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to the CPF beneficiaries in receipt of basic ex-gratia payment in the 5th CPC series shall be enhanced **w.e.f 01.01.2023** in the following manner :-

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 and 31.12.1985, and are entitled to basic ex-gratia @ Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 shall now be entitled to enhanced Dearness Relief from **396%** of the basic ex-gratia to **412%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2023.**

(ii) The following categories of CPF beneficiaries shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **388%** of the basic ex-gratia to **404%** of the basic ex-gratia **w.e.f 01.01.2023**:-

(a) The widows and eligible dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are entitled to revised ex-gratia @ Rs.645/-p.m w.e.f 04 June, 2013 vide OM No 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs.659/-, Rs.703/- and Rs.965/-.

Contd/....

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

4. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 12th June, 2023.

6. Hindi version will follow.

(D.P. Singh)
Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

सं. 1(2)/2023-पी&पीडबल्यू(एच)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
9 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राष्ट्र-व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान 2.0, 1-30 नवंबर, 2023 के लिए व्यापक दिशानिर्देश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर माह में अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के विशेष प्रावधान के साथ)।

2. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' को सुनिश्चित करने के लिए, इस विभाग ने यूआईडीएआई और मेटी(MeitY) के साथ मिलकर यूआईडीएआई आधार डेटाबेस पर आधारित एक फेस-ऑथेंटिकेशन तकनीक प्रणाली विकसित की है, जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव है। यह जीवन प्रमाण ऐप पर बायो-मेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके, वीडियो-केवाईसी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऐप का उपयोग करके ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा डोर-स्टेप सेवा के अतिरिक्त जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की नई प्रसुविधा है।

3. फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर, 2022 माह में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशनभोगी संघों, यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) के सहयोग से 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के परिणामस्वरूप पूरे भारत में केंद्र सरकार के 69.8 लाख पेंशनभोगियों में से लगभग 35 लाख पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र का उपयोग किया।

4. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अब 1 से 30 नवंबर, 2023 तक भारत के 100 ऐसे शहरों में एक राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 आयोजित करेगा, जहां केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या अधिक है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में लक्षित 50 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक और डीएलसी मोड के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देना है। **फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जारी करने की तकनीक से संबंधित एसओपी संदर्भ के लिए संलग्न है।**

5. इस अभियान को संचालित करने के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को निम्नलिखित हितधारकों का समर्थन प्राप्त होगा:

- सभी पेंशन संवितरण बैंक
- सभी पेंशनभोगी संघ
- रक्षा, डाक & रेल मंत्रालय (उनके स्वयं के पेंशनभोगियों के लिए)
- पीआईबी & दूरदर्शन(मीडिया के लिए)
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY)(तकनीकी मदद के लिए)

6. **<u>राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की विशेषताएं</u>**:

- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान का एक समान अखिल-भारतीय बैनर होगा जिसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से साझा किया जाएगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग प्रत्येक राज्य के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा; ये नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपर्युक्त विभिन्न हितधारकों के अभियान नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क करेंगे।
- 100 शहरों का चयन कर लिया गया है और हितधारकों के परामर्श से प्रत्येक शहर में कई स्थलों को चुना जाएगा।
- बैंकों/प्रतिष्ठानों द्वारा अभियान के लिए चुने गए प्रत्येक शहर में अभिज्ञात कई स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक बैंक, हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेगा जो अभियान के लिए प्रत्येक शहर के लिए बैंक के नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केवल राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
- रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय अपने स्वयं के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।
- यूआईडीएआई तथा मेटी(MeitY) प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए तकनीकी सहायता के लिए नोडल अधिकारियों को भी नामित करेंगे।
- पीआईबी और दूरदर्शन प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे।
- सितंबर, 2023 से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बैंकों और पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाएगा।
- किसी राज्य विशेष में अभियान से जुड़े बैंकों/प्रतिष्ठानों द्वारा नवंबर के निर्दिष्ट दिनों पर शिविर आयोजित किए जाएंगें। इसके अलावा सभी बैंक शाखाओं द्वारा बैंकों में पहुंचने वाले पेंशनभोगियों के लिए अन्य दिनों में भी शिविर लगाए जाएंगे।
- अभियान की प्रगति पर रिअल-टाइम इनपुट देने के लिए अपने सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने के लिए मेटी(MeitY) को सम्मिलित किया जाएगा।
- अभियान के दौरान सूचना की रिअल-टाइम शेयरिंग के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सभी नोडल अधिकारियों का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जाएगा।

7. यूआरएल https://ipension.nic.in/dlcportal/ के साथ एक पृथक **डीएलसी पोर्टल** बनाया गया है जिसमें राज्य और शहर स्तर पर नोडल अधिकारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। अभियान से संबंधित सभी इनपुट जैसे ट्वीट्स के यूआरएल और पीआईबी नोट्स/प्रेस विज्ञप्तियों को इस पोर्टल पर डाला जाएगा। डीएलसी पोर्टल के लिए यूजर मैनुअल संदर्भ के लिए संलग्न है।

8. **अभियान-पूर्व तैयारी चरण (1 अगस्त – 30 अगस्त, 2023)**

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सभी बैंकों, रक्षा(स्पर्श), यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी और दूरदर्शन द्वारा नोडल अधिकारियों का नामांकन।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ 100 अभिज्ञात शहरों के लिए सभी हितधारकों की राज्यवार बैठकें।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी पोर्टल के माध्यम से डीएलसी पर डीओपीपीडब्ल्यू/यूआईडीएआई/मेटी (MeitY) द्वारा नोडल अधिकारियों, बैंकरों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

9. **अभियान अवधि की गतिविधियां (1 नवंबर – 30 नवंबर, 2023)**

- माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री के तत्वावधान में 1 नवंबर, 2023 को राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 2.0 का शुभारंभ।
- 1-10 नवंबर, 2023 तक जब अधिकतम भीड़ होने की संभावना हो, कार्यक्रम के अनुसार 100 शहरों में डीएलसी शिविर, तत्पश्चात बैंकों/प्रतिष्ठानों में इस सुविधा को जारी रखा जाएगा।
- अभियान की निगरानी तथा निरीक्षण करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के नामित अधिकारियों का विभिन्न स्थलों पर दौरा।
- पूर्व-निर्धारित प्रारूप में, जिसके बारे में पृथक रूप से सूचित किया जाएगा, डीएलसी अभियान की प्रगति के बारे में मेटी(MeitY) द्वारा केंद्रीय रूप से डेटा का दैनिक अद्यतन।
- संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक शहर में प्रत्येक स्थल के लिए पीआईबी नोट और ट्वीट जारी करना। इसकी निगरानी उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 15 नवंबर 2023 को मध्य-अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- पोर्टल/सोशल मीडिया ग्रुप पर नोडल अधिकारियों द्वारा अभियान पर पीआईबी नोट्स, ट्वीट लिंक, दूरदर्शन कवरेज साझा करना।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 30 नवंबर को अभियान-समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।

10. राष्ट्र-व्यापी डीएलसी 100 सिटी अभियान के संदर्भ में **विभिन्न हितधारकों की भूमिका**:

➢ **पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की भूमिका**

- अभियान का ब्यौरा देने वाले पत्र सभी हितधारकों को जारी करें।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन।

- पंजीकृत पेंशनभोगी संघों सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी हितधारकों के साथ समन्वय बैठकें।
- नोडल अधिकारियों के विवरण अपलोड करने के लिए राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 पोर्टल का निर्माण और निगरानी।
- विभिन्न स्थलों की तस्वीरें और ट्वीट्स की संख्या पोस्ट करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक सोशल मीडिया ग्रुप का निर्माण।
- अभियान के संबंध में रिअल-टाइम अपडेट के लिए मेटी(MeitY) को एक एमआईएस प्रारूप प्रदान करना।
- फेस ऑथेंटिकेशन और डीएलसी विधियों में मेटी(MeitY) और यूआईडीएआई अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण।
- डीएलसी अभियान के संबंध में समाचार पत्रों, टेलीविजन, एफएम रेडियो, सोशल मीडिया, एसएमएस संदेशों, लघु फिल्मों के माध्यम से उचित समय पर जागरूकता अभियान चलाएं।

➢ **पेंशन संवितरण बैंकों की भूमिका**

- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पद से नीचे का न हो।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जहां बैंक को अग्रणी बैंक के रूप में अभिज्ञात किया गया हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उप-नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो एजीएम के पद से नीचे का न हो।
- अभियान आयोजित करने के लिए संबंधित शहरों में कई शाखाओं को शॉर्टलिस्ट करें।
- अपने स्थलों पर एक समान एकरूप बैनर का उपयोग करके राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं और सोशल मीडिया, पेंशनभोगियों को एसएमएस तथा अन्य माध्यमों जैसे डिजीहट्स, एटीएम और प्रमुख शाखाओं पर पोस्टरों द्वारा इस कार्यक्रम का प्रचार करें।
- जब पेंशनभोगी डीएलसी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए शाखा में जाएं तो सभी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों (भले ही डीएलसी अभियान के चयनित शहरों/स्थलों की सूची में न हों) के पास इस तकनीक का उपयोग करने के लिए एक एंड्रॉइड फोन हो।
- डीएलसी के सफल प्रस्तुतिकरण के प्रिंटआउट का स्क्रीनशॉट पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाए।
- पेंशनभोगियों को अपने मोबाइल में फेस ऑथेंटिकेशन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए ताकि वे स्वयं इस तकनीक को सीखें।
- आयोजन के लिए नामित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), पीआईबी तथा दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ-साथ उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों के साथ समन्वय करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जमा किए गए डीएलसी प्रोसेस हो गए हैं और पेंशनभोगी को पुष्टिकरण एसएमएस भेजा गया है, दैनिक कार्य किया जाए।
- यूआईडीएआई के माध्यम से उनके सर्वर तक पहुंचने वाली डीएलसी के ऑटो-कन्संप्शन के लिए अभियान से पहले उनके सॉफ्टवेयर का निरीक्षण करें।
- वीडियो केवाईसी विधि के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए उनके सॉफ़्टवेयर का निरीक्षण करें।
- महिला एवं बीमार पेंशनभोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

- चयनित शहरों में उन पेंशनभोगियों की एक अपवाद जांच-सूची तैयार करें जिन्होंने 15 नवंबर, 2023 तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं जमा किया है और उन्हें अनुस्मारक एसएमएस भेजें।
- ऐसे पेंशनभोगियों को डोरस्टेप जीवन प्रमाणपत्र सुविधा प्रदान करने की तैयारी करें जो अधिक आयु/अशक्तता के कारण केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- फिजिकल एलसी देने के इच्छुक किसी भी पेंशनभोगी को मना नहीं किया जाए।
- विदेश में बसे और जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए उनके केंद्रों पर आने वाले पेंशनभोगियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों को निर्देश दिए जाएं।
- प्रत्येक कार्यक्रम का पीआईबी नोट, ट्वीट और मीडिया कवरेज किया जाना चाहिए और डीओपीपीडब्ल्यू ट्विटर हैंडल को टैग किया जाए। 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाया जाए।
- अभियान की एक मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।

➢ **<u>पेंशनभोगी कल्याण संघों की भूमिका</u>**

- पेंशनभोगी कल्याण संघ ऐसे पेंशनभोगियों के लिए जो अभियान स्थलों पर जाने में असमर्थ हैं, घर/अस्पताल जाने के लिए अधिकारियों को नामित करेगा।
- अपने सभी सदस्यों के बीच अभियान के बारे में एक सक्रिय जागरूकता अभियान चलाएं और साथ ही अपने आरडब्ल्यूए (आवासीय कल्याण संघ) को अभियान और जीवन प्रमाणपत्र देने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पद्धति के बारे में अवगत कराएं।
- एक निर्बाध डीएलसी राष्ट्र-व्यापी अभियान चलाने के लिए स्थानीय बैंक/रक्षा (स्पर्श)/पीआईबी अधिकारियों के साथ समन्वय करें।
- पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र देने में पेश आने वाली किसी भी स्थानीय कठिनाई के बारे में राज्य के संबंधित डीओपीपीडब्ल्यू अधिकारी को रिपोर्ट करें।
- अभियान की एक मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।

➢ **<u>रक्षा मंत्रालय(स्पर्श) की भूमिका</u>**

- केंद्रीय स्तर पर समन्वय कार्य करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो निदेशक/उपसचिव/उप.सीजीडीए के पद से नीचे का न हो। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/कमांड के लिए उप-नोडल अधिकारी नामित करें, जो उप.सीजीडीए के पद से नीचे का न हो, जहां स्पर्श के पेंशनभोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और नोडल अधिकारियों के ब्यौरों को पोर्टल पर अपलोड करें।
- बैनर, सोशल मीडिया, एसएमएस तथा सैनिक कल्याण बोर्डों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
- शिविर पहुंचने वाले पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को एंड्रॉइड फ़ोन दिया जाए।

- यदि मंत्रालय की इच्छा हो, तो अतिरिक्त सुविधाएं देने की व्यवस्था भी की जाए, जैसे निःशुल्क चिकित्सा जांच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुसंगत परीक्षण), आधार अद्यतन, वरिष्ठ नागरिकों के साथ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क।
- रक्षा पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के उपलब्ध विभिन्न उपायों के बारे में उचित जागरूकता अभियान चलाएं।
- प्रचार के लिए सभी स्थलों पर एक समान एकरूप राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 बैनर प्रदर्शित किया जाए।
- अभियान के लिए स्पर्श केंद्रों को तैयार करें और स्पर्श में डीएलसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को लागू करें।
- जिला सैनिक कल्याण बोर्डों को चयनित शहरों में अपने कार्य क्षेत्र में अभियान चलाने की सलाह दें।
- अपने पंजीकृत पेंशनभोगी संघों को रक्षा पेंशनभोगियों को डीएलसी जमा करने में मदद करने की सलाह दें।
- ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के घर जाने की व्यवस्था करें जो केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं।
- सभी केंद्रों में शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों के लिए एक हेल्पलाइन तैयार करें जिनके समक्ष जीवन प्रमाणपत्र देने में समस्याएं पेश आ रही है।
- 10 नवंबर, 2023 को डीएलसी की स्थिति की समीक्षा करें और ऐसे रक्षा पेंशनभोगियों को अनुस्मारक एसएमएस भेजें जिन्होंने अभी तक जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिए हैं।
- अभियान की मीडिया योजना तैयार करें और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मेल आईडी doppw-dlc@gov.in पर तस्वीरें भेजें।
- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों का डीएलसी जमा करते हुए 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाया जाए।
- 30 सेकंड के लघु वीडियो लिए जाए।

➢ **<u>यूआईडीएआई की भूमिका</u>**

- पूरे माह चलने वाले अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए।
- राज्य-वार नोडल अधिकारियों को नामित करें जो चयनित शहरों और केंद्रों में फोन पर और जहां भी संभव हो भौतिक रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- एक हेल्पलाइन स्थापित करें ताकि डीएलसी में जहां भी समस्याएं आएं, वहां तकनीकी सहायता दी जा सके।
- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 के निर्बाध संचालन के लिए एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करें।
- पेंशनभोगियों को उनके आधार विवरण अद्यतित करने में अतिरिक्त मदद करने के लिए जहां भी संभव हो, अभियान केंद्रों पर आधार अपडेशन शिविरों की व्यवस्था करें।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

➢ **<u>जीवन प्रमाण टीम, मेटी(MEitY) की भूमिका</u>**

- राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 2.0 की प्रगति के आवश्यक एमआईएस (अलग से सूचित किया जाएगा) प्रदान करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए एक केंद्रीय टीम नामित करें।

- जीवन प्रमाण ऐप पर किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में फोन पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें।
- अभियान अवधि के दौरान एक सुदृढ़ कार्यशील जीवन प्रमाण ऐप सुनिश्चित करें जिसके संचालन में कोई कमी न हो।
- क्षेत्र में अभियान के प्रभारी डीओपीपीडबल्यू अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

➢ **<u>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/पीआईबी/दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका</u>**

- संबंधित डीओपीपीडबल्यू अधिकारी के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें जो निदेशक/उप सचिव रैंक से नीचे का न हो।
- आयोजन से पूर्व, आयोजन के दौरान और बाद में मीडिया के माध्यम से स्थानीय जागरूकता प्रचार-प्रसार करें।
- एक मध्य-अभियान मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करें।
- पीआईबी और दूरदर्शन दोनों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित करें।
- फ़ेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं में एसओपी और जागरूकता अभियान सामग्री के अनुवाद के लिए व्यक्ति को तैनात करें।
- अभियान स्थलों पर विस्तृत कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीमें तैनात करे।
- राष्ट्र-व्यापी अभियान पर लघु फिल्म बनाएं।
- दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो पर 02 पैनल चर्चाएं आयोजित करें।

11. **<u>मीडिया योजना</u>**

- डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन पर सभी जागरूकता सामग्री डीओपीपीडबल्यू के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। नोडल अधिकारी व्यापक जागरूकता के लिए उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
- डीओपीपीडब्ल्यू 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय अभियान का विवरण देते हुए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में जागरूकता के लिए पूरे देश को कवर करते हुए 2 प्रिंट विज्ञापन जारी करेगा।
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के उन सिविल पेंशनभोगियों को एसएमएस भेजेगा जिनके मोबाइल नंबर अक्टूबर और नवंबर, 2023 के महीने में डीओपीपीडबल्यू डेटाबेस में उपलब्ध हैं।
- 100 शहरों में कई स्थलों पर प्रत्येक अभियान स्थल के लिए पीआईबी नोट्स/ट्वीट जारी किए जाएं।
- सभी बैंक चयनित शहरों में पहले से ही स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पेंशनभोगी इन शिविरों में भाग ले सकें।
- सभी 100 शहरों में प्रत्येक शिविर-स्थल का दूरदर्शन कवरेज।
- सितंबर 2023 से, डीएलसी के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन एसओपी, सूचना ग्राफिक्स, लघु वीडियो, डीएलसी अभियान 2022 की सफलता कहानियों को कवर करते हुए ट्विटर श्रृंखला शुरू की जाएगी।
- सचिव (पीएंडपीडबल्यू) की अध्यक्षता में दूरदर्शन द्वारा पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
- अभियान के अंत में डीएलसी अभियान पुस्तिका का विमोचन।
- 15 नवंबर, 23 को मध्य-अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- 30 नवंबर, 23 को अभियान-समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस।

12. समग्र समन्वय के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है:

क्र. सं.	नाम	भूमिका	संपर्क ब्यौरा	ई-मेल आईडी
1	रुचिर मित्तल, निदेशक	अभियान समन्वयक	011-23350012, 9754473876	ruchirmittal.cgda@nic.in
2	अशोक कुमार सिंह, अवर सचिव	मंत्रालय/विभाग समन्वयक	011-23310108, 8447326646	ashok.ks72@gov.in
3	राजेश कुमार, अवर सचिव	मीडिया समन्वयक	011-24644631, 9540623057	rajesh.kr73@nic.in
4	रमनजीत कौर, परामर्शदाता	बैंक समन्वयक	011-24644631, 9643318767	ramanjit.kaur.61@govcontractor.in

13. पूरे भारत में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा डीएलसी के उपयोग की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर माह के लिए राष्ट्र-व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 2.0 के लिए उपरोक्त व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त भूमिकाओं का पालन करें।

इसे सचिव(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक:

1. **एसओपी**
2. **डीएलसी पोर्टल के लिए यूजर मैनुअल**

रुचिर मित्तल

रुचिर मित्तल
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
दूरभाष: 23350012
ईमेल: ruchirmittal.cgda@nic.in

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग
2. पेंशन संवितरण बैंक के सभी सीएमडी
3. अध्यक्ष, रेल बोर्ड
4. सचिव, मेटी(Meity)
5. सचिव, डाक विभाग
6. सचिव, दूरसंचार विभाग
7. सीजीडीए
8. सीईओ, यूआईडीएआई
9. अध्यक्ष आईपीपीबी

File No. 1(2)/2023-P&PW(H)

Government of India

Ministry of Personnel, PG & Pensions

Department to Pension & Pensioners' Welfare

3rd floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi

August 9, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Comprehensive Guidelines for the Nation-wide Digital Life Certificate Campaign 2.0, November 1-30, 2023

The undersigned is directed to say that submission of Life Certificate is an important activity to be carried out by pensioners every year in the month of November (with special provision for pensioners aged 80 years and above to submit their Life Certificates in the month of October) to ensure continuity of their pension.

2. To enhance 'Ease of Living' of Central Government pensioners, this Department engaged with UIDAI & MeitY to develop a Face-Authentication technology system based on UIDAI Aadhaar database whereby it is possible to submit Life Certificate from any Android based smart phone. This is in addition to giving Life Certificate using a bio-metric device on the Jeevan Pramaan App, Video-KYC, LC through the Gramin Dak Sevaks by using the App of India Post Payments Bank and Door-step service by the consortium of Public Sector Banks.

3. With a view to spread awareness amongst all the Central Government pensioners as well as the Pension Disbursing Authorities for use of DLC through Face Authentication Technology, DoPPW launched a nation-wide campaign in 37 cities in collaboration with SBI, PNB, Pensioners' Associations, UIDAI & MeitY in the month of November 2022. This campaign resulted into use of DLC by approx. 35 Lakh out of 69.8 Lakh Central Government Pensioners across India.

4. DoPPW shall now be conducting a Nation-wide DLC Campaign 2.0 in 100 cities of India, where there is a significant presence of Central Government Pensioners, from 1st to 30th November, 2023. The objective of this Campaign is to promote increased use of Face Authentication Technology and DLC modes with a target of 50 Lakh Central Government Pensioners across India. **The SOP regarding the technique of issuing DLC through Face Authentication is attached for reference.**

5. In order to conduct this Campaign, DoPPW shall obtain the support of the following stake-holders:

- Pension Disbursing Banks
- Pensioners' Associations
- Ministry of Defence, Postal & Railways (for their own pensioners)
- PIB & DD (for media support)

- UIDAI & MeitY (for technical support)

6. **Nation –wide DLC campaign 2.0 Features**:

- There shall be a common All-India banner of the Nationwide DLC Campaign to be shared separately by DOPPW.
- DoPPW shall nominate its Nodal officers for each State; these Nodal Officers shall tie up with the Campaign Nodal officers of the different stake-holders, as given above for the respective States/UTs.
- The 100 cities have been identified and multiple locations within each city will be identified in consultation with the stakeholders.
- Camps will be organized at the identified multiple locations in each city, shortlisted for the Campaign by the banks/establishments.
- Each Bank shall nominate its nodal officers for each State/UT who shall coordinate with the Bank's nodal officer for each city for the Campaign. DoPPW shall coordinate with the State Nodal Officers only.
- M/o Defence, Railway, Posts & Telecom shall appoint their own Nodal Officers.
- UIDAI and MeitY shall also nominate Nodal officers for technical support for each State/UT.
- PIB & DD shall nominate its Nodal officers for publicity in each State/UT.
- From September, 2023, onwards wide publicity is to be carried out through social media, print media, banks and registered pensioners' associations.
- The Banks/Establishments associating for the Campaign in a particular State shall hold camps on designated days of November. In addition camps will also be held on other days by all Bank branches for the Pensioners reaching Banks.
- MeitY shall be roped in for utilizing its software to give real-time inputs on the progress of the Campaign.
- A Social Media group of all the Nodal officers shall be created by DOPPW for real-time sharing of information during the Campaign.

7. A separate **DLC portal** with URL https://ipension.nic.in/dlcportal/ has been created wherein details of Nodal Officers at State and City level shall be registered. All inputs related to the Campaign such as URLs of tweets and PIB notes/ press releases are to be entered in this portal. The user manual for the DLC Portal is attached for reference.

8. **Pre-Campaign Preparation Phase (August 1 - August 30, 2023)**

- Nomination of Nodal officers by DoPPW, all Banks, Defence (SPARSH), UIDAI, MeitY, PIB and DD.
- State-wise meetings of all the stake-holders for the identified 100 cities with DoPPW officials.
- Training of Nodal officers, Bankers & Training of trainers by DoPPW/ UIDAI/ MeitY on DLC through Face authentication and DLC Portal.

9. Campaign Period activities (1st November – 30th November, 2023)

- Launch of Nationwide DLC Campaign 2.0 on 1st November, 2023 under the auspice of Hon'ble Dr. Jitendra Singh, MOS.
- DLC camps in 100 cities as per schedule from Nov 1-10, 2023 when the maximum rush is expected; thereafter the Banks/Establishments shall keep the facility open.
- Visit of DoPPW nominated officials to different locations to monitor & inspect the drive.
- Daily updation of data centrally by MeitY of the progress of the DLC Campaign in a pre-determined format to be intimated separately.
- Release of PIB note and tweets for each location in every city by respective nodal officers. This shall be monitored by the DoPPW official in-charge of that particular State/UT.
- Mid – Campaign Press conference by DOPPW on 15th November 2023.
- Sharing of PIB notes, tweets links, DD coverage on Campaign by the Nodal officers on the portal/social media group.
- End of Campaign Press conference by DOPPW on 30th November.
- Release of Nation – Wide DLC campaign booklet by DOPPW.

10. **Role of different stake-holders** w.r.t. the Nationwide DLC 100 City Campaign:

➢ Role of Department of Pension & Pensioners' Welfare

- Issue letters to all stake-holders containing details of the campaign.
- Nomination of Nodal Officers for each State/UT.
- Co-ordination meetings with all stake-holders in different States/UTs including with the Registered Pensioners' Associations.
- Creation & monitoring of the Nationwide DLC Campaign 2.0 Portal for upload of details of Nodal Officers.
- Creation of a social media group comprising all the nodal officers for posting of pictures of different site locations and number of tweets.
- Provide a MIS format to MeitY for real-time updates with regard to the Campaign.
- Training of different stake-holders along with MeitY & UIDAI officials in Face Authentication and DLC methods.
- Conduct an awareness drive at the appropriate time through newspapers, television, FM radio, Social media, SMS messages, Short films regarding the DLC campaign.

➢ Role of Pension Disbursing Banks

- A nodal officer, not below the rank of Chief General Manager/General Manager, to be nominated for the Nation-wide DLC Campaign.
- State/ UT wise sub-nodal officers, not below the rank of AGM, to be nominated for each State/ UT where bank has been identified as lead bank.
- Shortlist multiple branches in the concerned cities for holding the Campaign.
- Conduct an awareness drive of the Nationwide DLC Campaign using a uniform common Banner at their locations and publicize the event through social media, SMS to Pensioners and other means such as posters at Digihuts, ATMs and prominent branches.

- Dedicated staff at all branches (even though not part of DLC campaign selected cities/locations) should be equipped with an Android phone to use this technology when pensioners visit the branch for submission of DLC certificate.
- Printout of successful submission of DLC screenshot may be provided to pensioners.
- Effort may be made to encourage pensioners to download Face authentication apps in their mobile so that they learn technology themselves.
- Coordinate with the designated DoPPW, UIDAI, MeitY, PIB & DD Officials for the event as well as the registered Pensioners' Associations in their jurisdiction.
- Conduct a daily exercise to ensure that all DLCs submitted have been processed and confirmation SMS sent to the Pensioner.
- Inspect their software prior to the campaign for auto-consumption of the DLC reaching their servers through UIDAI.
- Inspect their software for enabling LC through Video KYC method.
- Women and sick Pensioners should be given highest priority.
- Prepare an exception check-list of the Pensioners in the select cities who have not given LC by November 15, 2023 and send reminder SMS.
- Prepare for providing doorstep LC facility to those Pensioners who are unable to visit centers due to age/infirmity.
- No pensioner wanting to give a physical LC should be turned back.
- Instructions to be given to their International Banking Divisions to give a similar treatment to Pensioners settled abroad and visiting their centers for giving LC.
- PIB note, Tweets and media coverage should be given to each event and DOPPW twitter handle to be tagged. Short videos of 30 seconds may be taken of pensioners above age of 90 years generating their DLC.
- Prepare a media plan of the Campaign and send pictures to DoPPW on the mail ID doppw-dlc@gov.in

➤ **Role of Pensioners' Welfare Associations**

- PWAs to nominate officials to make home/hospital visits for Pensioners who are unable to move to Campaign locations
- Conduct a rigorous awareness drive of the Campaign among all their members as well as apprise their RWAs (Resident Welfare Associations) regarding the Campaign and the Face Authentication methodology for giving LC.
- Coordinate with the local Bank/Defence (SPARSH)/PIB officials for conducting a seamless DLC Nationwide campaign.
- Report to the concerned DoPPW official of the State about any local issues being faced by the Pensioners in giving LC.
- Prepare a media plan of the Campaign and send pictures to DoPPW on the mail ID doppw-dlc@gov.in

➤ **Role of Ministry of Defence (SPARSH)**

- A Nodal officer may be nominated, not below the rank of Dir/DS/Dy.CGDA for coordination at central level. Sub-Nodal officers to be nominated for each state/

UT/Command, not below the rank of Dy.CDA, where the camp is being held for SPARSH pensioners and details of the nodal officers to be uploaded on the portal.

- Wide publicity should be given to this campaign by spreading awareness through banners, social media, SMS and Sainik Welfare Boards.
- A dedicated person should be equipped with an Android phone for issue of Digital Life Certificate of the pensioners visiting the camp.
- Additional facilities like free medical checkup (tests more relevant to senior citizens), Aadhaar Updation, engagement with NGOs working with senior citizens can also be arranged, if desired, by the Ministry.
- Conduct a proper awareness drive regarding the different methods available to Defence Pensioners of submitting LC.
- Uniform Nationwide DLC Campaign 2.0 Banner to be displayed at all locations for publicity.
- Gear up SPARSH centers for the Campaign and enable Face Authentication technology for DLC in SPARSH.
- Advise Zila Sainik Welfare Boards to conduct the Campaign in their area of operation in the select cities.
- Advise their registered Pensioners' Associations to help Defence Pensioners to give DLC.
- Organize home visits for those Defence Pensioners who are unable to visit the centers.
- Position grievance officers in all the centers and also provide a helpline for the Defence Pensioners who face issues in giving LCs.
- Review the DLC position on November 10, 2023 and send reminder SMS to those Defence Pensioners who have not yet given LCs.
- Prepare a media plan of the Campaign and send pictures to DoPPW on the mail ID doppw-dlc@gov.in
- Short videos of 30 seconds may be taken of pensioners above age of 90 years submitting DLC.

➢ Role of UIDAI

- A Nodal officer may be nominated for month long campaign.
- Nominate Nodal officers State-wise who shall be providing technical support in the select cities and centres on phone and physically where ever possible.
- Set-up helplines for giving technical support wherever issues are faced in DLC.
- Ensure a robust software for seamless conduct of the Nationwide DLC Campaign 2.0
- Arrange Aadhaar updation Camps at the Campaign Centres wherever possible to additionally help Pensioners in updating their Aadhaar details.
- Coordinate with the DoPPW officials incharge of the Campaign in the region.

➢ Role of Jeevan Pramaan Team, MEitY

- Nominate a team centrally for coordinating with DoPPW Officials for proving necessary MIS (to be intimated separately) of the progress of the Nationwide DLC Campaign 2.0

- Nominate nodal officers for providing technical support on phone in case of any technical glitches faced on the Jeevan Pramaan App.
- Ensure a robust working Jeevan Pramaan App during the Campaign period devoid of any bugs.
- Coordinate with the DoPPW officials incharge of the Campaign in the region.

➢ **Role of MoI&B /PIB /DD /AIR**

- Nominate Nodal Officers not below the rank of Dir/DS to coordinate with the concerned DoPPW official.
- Conduct local awareness publicity through media both prior, during and after the event.
- Conduct a Mid-Campaign media conference.
- Nominate a nodal officer each for PIB & DD.
- Deploy resource person for translating SOP & awareness campaign material for DLC through Face authentication in 22 scheduled languages.
- Deploy DD teams at campaign sites for detailed coverage.
- Creation of short films on Nation – Wide Campaign.
- Organize 02 Panel discussions at DD & AIR.

11. **Media Plan**

- All awareness material on DLC / Face authentication will be available on the DOPPW portal. Nodal officers can use that material for widespread awareness.
- DoPPW will release 2 print advertisements covering whole country for awareness about DLC/ Face authentication giving details of National campaign on 15th September and 15th October, 2023.
- DoPPW shall send SMS to the Central Government Civil Pensioners whose mobile numbers are available in DoPPW database in the month of October & November, 2023.
- PIB notes/ tweets will be issued for each campaign site at multiple locations in 100 cities.
- Banks will conduct an awareness Campaign in the select city in local languages in local newspapers in advance so that pensioners participate in these camps.
- DD coverage of each camp-site in all 100 cities.
- September 2023 onwards, twitter series will be launched covering DLC/Face authentication SOP, info graphics, short videos, success stories of DLC campaign 2022 for widespread awareness about DLC.
- Panel discussion by DD to be chaired by Secretary (P&PW).
- Release of DLC campaign booklet at the end of campaign.
- Mid – Campaign Press conference on 15th November, 23.
- End of Campaign Press conference on 30th November, 23.

12. For overall coordination, following DoPPW officers have been nominated:

Sl no	Name	Role	Contact details	Email ID
1	Ruchir Mittal, Director	Campaign Coordinator	011-23350012, 9754473876	ruchirmittal.cgda@nic.in
2	Ashok K Singh, US	Min/Dept Coordination	011-23310108, 8447326646	ashok.ks72@gov.in
3	Rajesh Kumar, US	Media coordinator	011-24644631, 9540623057	rajesh.kr73@nic.in
4	RamanjitKaur, Consultant	Bank coordinator	011-24644631, 9643318767	ramanjit.kaur.61@govcontractor.in

13. The above comprehensive guidelines for Nation – Wide Digital Life Certificate 2.0 for month of November are being issued to ensure saturation of use of DLC by Central Government Pensioners across India. All Stakeholders are requested to adhere to roles assigned, as above.

This issues with the approval of Secretary (Pension & Pensioners' Welfare).

Appended:

1. **SOP**
2. **User Manual for DLC Portal**

Ruchir Mittal
Director, DoPPW
Tel.: 23350012
Email: ruchirmittal.cgda@nic.in

1. Secretary, All Min/Depts
2. All CMDs of Pension Disbursing Banks
3. Chairman, Railway Board
4. Secretary, Meity
5. Secretary Dept. of Posts
6. Secretary, Dept. of Telecommunication
7. CGDA
8. CEO, UIDAI
9. Chairman IPPB

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पता– तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

Address- 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003

www.pensionersportal.gov.in